सरपरस्त
हज़रत मौलाना सै0 बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी
नाज़िम नदवतुल उलमा, लखनऊ

सम्पादक
मु0 गुफ़रान नदवी
उप सम्पादक
जमाल अहमद नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग,
लखनऊ – 226007
☎ 0522–2740406 (8:00 am to 1:00 pm)
E-mail: sachcharahi2002@gmail.com
http://sachcha-rahi.nadwa.in/
www.nadwatululema.org

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 30/-
वार्षिक	₹ 300/-
विदेशों में (वार्षिक)	50 युएस. डॉलर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
SACCHA RAHI

SACCHA RAHI
A/c. No. 10863759642
IFS Code: SBIN0000125
Swift Code: SBINNB157
State Bank of India,
Main Branch, Lucknow.

कृप्या पैसा जमा करने के बाद दफ़्तर के फोन नम्बर अथवा ई–मेल पर खरीदारी नम्बर के साथ अवश्य सूचित करें।

हिन्दी मासिक सच्चा राही

सामाजिक एवं साहित्यिक लखनऊ

SACHCHA RAHI.ISSN 2582-4007

जून 2023 | वर्ष 22 | अंक 04

हज का पैग़ाम

हज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों की यादगार है, यह कुर्बानियां आख़िरी दरजे की थीं, जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए दी गईं, इसी तरह हज की इबादत अपने नफ़्स की कुर्बानी, ख़ुवाहिशात की कुर्बानी, जान व माल की कुर्बानी की यादगार है जो हर साल मक्के में ज़ाहिरी शक्ल में अमल में लाई जाती हैं इससे दीन और ईमान में तरक़्क़ी होती है, इसका उद्देश्य अल्लाह की रज़ा हासिल करना है यही हज का उद्देश्य है।

(हज़रत मौ0 सय्यद मु0 राबे हसनी नदवी रह0)

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा ख़त्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। आप अपना पैसा दिये गये बैंक खाते में भी जमा कर सकते हैं। अथवा मनीआर्डर से भी भेज सकते हैं। मनीआर्डर के कूपन पर अपने खरीदारी नम्बर के साथ मोबाइल नम्बर अवश्य लिखें।

मुद्रक एवं प्रकाशक मोहम्मद ताह्र अतहर द्वारा काकोरी आफसेट प्रिंटिंग प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर सच्चा राही नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित।
Designing & Composing by: Qamaruzzama-8318047804

विषय एक दृष्टि में

कुर्आन की शिक्षा	मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी	05
प्यारे नबी की प्यारी बातें	मौलाना हकीम सै0 अब्दुल हई हसनी रह0	07
हज एक अहम इस्लामी इबादत	मुहम्मद गुफ़रान नदवी	09
इस्लामी अक़ीदे	मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी	12
भारत के अतीत में मुस्लिम	सैयद सबाहुद्दीन अब्दुर्रहमान	14
हिन्दुस्तानी मुसलमानों के लिए	मौलाना जाफर मसऊद हसनी नदवी	15
शिक्षक के गुण	अफ़ज़ल हुसैन	21
कुर्बानी का हुक्म	डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी मरहूम	25
जुल्म, जुल्म, जुल्म	इं0 जावेद इक़बाल	27
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती मुहम्मद ज़फ़र आलम नदवी	29
उपकार	नज़मुस्साक़िब अब्बासी नदवी	31
उर्दू के आधार स्तंभ	डॉ0 मुहम्मद अहमद	32
नबी करीम सल्ल0 का आख़िरी हज	इदारा	35
गउ रक्षा के नाम पर जंगलराज	इदारा	38
पेट से जुड़ी समस्याएं	डॉ0 चारू गाबा, लखनऊ	40
अंतर्राष्ट्रीय समाचार	अबू मोहम्मद आमिर नदवी	41
अहले ख़ैर हज़रात की खिदमत में	इदारा	42

क़ुअ्नि की शिक्षा

मौलाना बिलाल अ़ब्दुल ह़ई हसनी नदवी

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सूर-ए-यूनुसः-

अनुवाद–

और अगर अल्लाह तुम्हें किसी तकलीफ़ में डाल दे तो उसके सिवा कोई उसको दूर करने वाला नहीं और अगर वह तुम्हारे साथ भलाई का इरादा कर ले तो उसके फ़ज़्ल को कोई टाल नहीं सकता, वह अपने बंदों में जिसे चाहे उसे प्रदान करे और वह बहुत माफ़ करने वाला बड़ा ही कृपालु है (107) कह दीजिए कि ऐ लोगो! तुम्हारे पालनहार की ओर से तुम्हारे पास सत्य आ पहुँचा, बस जो सच्चे रास्ते पर चला तो वह अपने भले के लिए सच्चे रास्ते पर चला और जो भटक गया तो वह अपने बुरे के लिए रास्ता भटका और मैं तुम पर कोई दारोग़ा नहीं हूँ(108) और जो वह्य आप पर आई है आप उसी पर चलते रहिए और जमे रहिए यहाँ तक कि अल्लाह फ़ैसला कर दे और वह सबसे अच्छा फ़ैसला करने वाला है[1](109)।

-:सूर-ए-हूदः-

अनुवाद–

अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत ही दयालु है।

अलिफ़ लाम रॉ, (यह वह) किताब है जिसकी आयतें जाँच ली गई हैं फिर उनको खोल दिया गया है, एक हिकमत (तत्वदर्शिता) वाले, पूरी ख़बर रखने वाले की ओर से (1) कि तुम बन्दगी केवल अल्लाह ही की करो, बेशक मैं उससे तुम्हें डराने वाला और शुभ समाचार सुनाने वाला हूँ (2) और यह कि तुम अपने पालनहार से माफ़ी मांगो और उसी की ओर पलटो तो वह तुम्हें एक निर्धारित वादे तक खूब मज़े में रखेगा और हर अधिक काम करने वाले को अधिक बदला देगा और अगर तुमने मुँह मोड़ा तो मुझे तुम पर एक बड़े दिन के अज़ाब का डर है(3) तुम सबको अल्लाह ही की ओर लौट कर जाना है और वह हर चीज़ की पूरी सामर्थ्य रखता है(4) देखो वे अपने सीनों को दोहरा रखते हैं ताकि उस (अल्लाह) से छिपाए रखें, याद रखो! जब वे कपड़े पहनते हैं (तो भी) जो छिपाते और ज़ाहिर करते हैं वह (सब कुछ) जानता है तो सीनों के भीतर की बातों से ख़ूब अवगत है[2](5) और ज़मीन में जो भी चलने फिरने वाला है, उसकी रोज़ी अल्लाह ही के ज़िम्मे है और जहाँ वह रहता है और जहाँ सौंपा जाता है उससे भी वह अवगत है, सब कुछ खुली किताब में मौजूद है[3](6) और वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को छः दिन में पैदा किया[2] और उसका अर्श पानी पर था ताकि वह तुम्हें आज़माए कि कौन तुममें सबसे बेहतर काम करने वाला है और अगर आप उनसे कहें कि तुम मरने के बाद ज़रूर उठाए जाओगे तो इनकार करने वाले निश्चित ही कहेंगे कि यह तो खुले जादू के सिवा कुछ नहीं(7) और अगर हम अज़ाब को उनसे एक निर्धारित अवधि तक टाल दें तो वे ज़रूर कहेंगे कि किसने उसको रोक रखा है, सावधान हो जाओ जिस दिन भी वह उन पर आ जाएगा तो फिर वह उनसे टलाए न टलेगा और जिस पर वे (अब तक) हंसी करते रहे थे वह सब कुछ उन्हीं पर उलट पड़ेगा(8) और अगर

हम इंसान को अपने पास से रहमत (दया) का मज़ा चखाते हैं फिर उसको छीन लेते हैं तो वह बड़ा निराश, सख़्त नाशुक्रा हो कर रह जाता है(9) और अगर तकलीफ़ के बाद जो उसको पहुँच चुकी हो राहत का मज़ा चखाएं तो वह कहे कि मेरी सब तकलीफ़ें दूर हो गईं बेशक वह इतरा कर डींगें मारने लगता है(10) सिवाय उन लोगों के जिन्होंने क़दम जमाए रखा और उन्होंने अच्छे काम किये ऐसों ही के लिए माफ़ी और बड़ा बदला है[5](11) तो भला क्या आप उसमें से कुछ छोड़ बैठेंगे जो वह्य आप पर की गई है और आपका सीना इससे संकुचित होने लगेगा कि वे कहते हैं कि उन पर ख़ज़ाना क्यों न उतरा या उनके साथ फरिश्ता क्यों न आया, आप तो बस डराने वाले हैं और अल्लाह हर चीज़ का ज़िम्मेदार है[6](12)।

तफ़्सीर (व्याख्या):–

1. तब्लीग़ का जो काम मैं कर सकता था मैंने कर दिया अब मानना न मानना तुम्हारा काम है, इससे अधिक मुझे अधिकार नहीं।

2. इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने हज़रत अब्दुल्लाह पुत्र अब्बास रज़ि0 की यह बात लिखी है कि कुछ सहाबा बहुत ज़्यादा शर्म की वजह से शौच और संभोग के समय भी गुप्तांग खोलते हुए झिझकते थे और अपना सीना झुका लेते और गुप्तांग को छिपाने का प्रयास करते थे, उन लोगों को एक प्रकार से सावधान किया जा रहा है कि अल्लाह तआला तो हर हाल में देखता है हर चीज़ उसके सामने है इसलिए इतना ज़्यादा संकोच की ज़रूरत नहीं, यह दीन के प्रकृति के विरुद्ध है।

3. जहां ज़मीन में रहा जहाँ मरने के बाद सौंपा जाएगा वह और उसके आगे सब अल्लाह के सामने है।

4. चाहता तो क्षण भर में पैदा कर देता लेकिन उसकी हिकमत यही चाहती थी।

5. न मानने वाले किसी तरह भी नहीं मानते, तकलीफ़ के बाद राहत हो तो इंसान समझता है कि बस सुख ही सुख है।

6. मुश्रिक लोगों का कहना था कि आप मूर्तियों को असत्य कहना छोड़ दें हमारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा, इसी कारण कहा जा रहा है कि भला आप कुछ छोड़ तो सकते नहीं तो उनकी माँगों पर मन छोटा न कीजिए, आप संदेश पहुँचा दें फिर उनका हिसाब–किताब अल्लाह के ज़िम्मे है।

❖❖❖

कुर्आन मजीद को खूब आम करें!

इस वक़्त पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ़ इस्लाम के विरोधियों ने जंग छेड़ रखी है विश्व भर में इस्लामी मूल्यों और इस्लामी तहज़ीब और उनकी मज़हबी पहचान वाली चीज़ों पर पाबंदी लगाई जा रही है, मस्जिदों और इस्लामी व दीनी मदरसों व मरक़ज़ों पर हमले किये जा रहे हैं अदालतों में जजों के सामने मुसलमान बुर्क़ा पहने बच्चियों पर हमले हो रहे हैं।

लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस्लाम विरोधी ईसाई हुकूमतों और उनकी गुलाम मुस्लिम हुकूमतों की ज़ालिमाना कार्यवाईयों के नतीजे में मुस्लिम नवजवानों में इस्लामी मूल्यों की हिफ़ाजत और दीनी आमाल पर अमल करने का ईमानी जज़्बा पैदा हो रहा है और खुद ईसाई मुल्कों की मक़ामी आबादी में इस्लाम खूब फैल रहा है लोग यह जानने के इच्छुक हो रहे हैं कि इस्लाम क्या है? इसके समझने के लिए स्वयं कुर्आन हासिल कर रहे हैं और खूब अध्ययन के बाद इस्लाम भी कबूल कर रहे हैं यही कारण है कि पूरी दुनिया इस्लाम को दबाने और बदनाम करने में एक साथ लगी है।

अब हर मुसलमान का यह फर्ज है कि गैर मुस्लिम भाईयों तक कुर्आन मजीद उनकी ज़बान में घर घर पहुंचाऐं और खुद भी उसकी शिक्षाओं का पालन करें और अपने बच्चों और इलाके और समाज को भी प्रेरित करें ताकि दीनी तब्लीग का फरीज़ा अदा हो और इस्लाम की बयार हर एक को मस्त कर दे। ◆◆

प्यारे नबी की प्यारी बातें

मौ0 हकीम सै0 अब्दुल हई हसनी रह0

खैर–ख्वाही और हमदर्दी का महत्वः–

हज़रत तमीम बिन औस दारी रज़ि0 बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया दीन खैर–ख्वाही का नाम है, आपने तीन बार यह फरमाया, हम ने पूछा ऐ अल्लाह के नबी! किसके लिए? आप सल्ल0 ने फरमाया अल्लाह और उसकी किताब के लिए, और उसके रसूल के लिए, मुसलमान रहनुमाओं (मार्गदर्शकों) और उनके आम लोगों के लिए।

(मुस्लिम)

खैर–ख्वाही हर मुसलमान का हकः–

हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ि0 फरमाते हैं कि मैंने नमाज़ क़ायम करने, जकात देने, और दिल में हर मुसलमान के लिए भलाई की भावना रखने की अल्लाह के रसूल सल्ल0 से बैअत (प्रतिज्ञा) की।

(बुखारी व मुस्लिम)

हर मुसलमान के दिल में खैर ख्वाही और भलाई की भावना होनी चाहिएः

हज़रत ज़ियाद बिन अलाक़ः रज़ि0 से रिवायत है कि मैंने जरीर बिन अब्दुल्लाह को कहते सुना कि मैं अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा–ऐ अल्लाह के नबी! मैं आप सल्ल0 से इस्लाम की बैअत करता हूँ, आप सल्ल0 ने मुझ पर यह शर्त लगाई कि इस के बाद हर मुसलमान के साथ खैर–ख्वाही और भलाई चाहने की बैअत करें, तो मैंने इस पर बैअत की और इस मस्जिद के खुदा की कसम! मैं तुम्हारा खैर–ख्वाह और हमदर्द हूँ। (बुखारी)

जो अपने लिए पसन्द करे वही अपने भाई के लिए पसन्द करेः–

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि0 से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया तुम में से कोई आदमी पूरा ईमान वाला उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि वह अपने भाई के लिए वही पसन्द न करे जो अपने लिए पसन्द करता है। (बुखारी व मुस्लिम)

आपस में मुसलमानों के छः हक हैं:–

हज़रत अबू हुरैरः रज़ि0 से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया मुसलामन के मुसलमान पर छः हक हैं।, जब उससे मिलो तो सलाम करो, जब वह दावत दे तो कुबूल करो, जब तुम से नसीहत (अपनी भलाई के लिए कुछ कहने) के लिए कहे तो नसीहत करो और जब वह छींके और ''अल्हमदुलिल्लाह'' कहे तो तुम ''यर्हमुकल्लाह'' (अल्लाह तुम पर रहम करे) कहो, जब वह बीमार पड़ जाए तो इयादत (कुशलक्षेम पूछने) के लिए जाओ और अगर उसकी मौत हो जाए तो जनाज़े के साथ जाओ। (मुस्लिम)

जो जैसा करेगा वैसा ही अल्लाह तआला उसको बदला देंगेः–

हज़रत अबू हुरैरः रज़ि0 बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया जो आदमी किसी मुसलमान की दुनिया की मुसीबतों में से एक मुसीबत को दूर करेगा तो अल्लाह तआला कयामत की मुसीबतों में से उसकी एक मुसीबत दूर फरमायेंगे, और जो आदमी किसी तंग हाल के साथ आसानी का मामला करेगा,

अल्लाह तआला दुनिया और आखिरत में उसके साथ आसानी फरमाएंगे, जब तक बन्दा अपने भाई की मदद में लगा रहता है तब तक अल्लाह उसकी मदद करता रहता है। (मुस्लिम)

अत्याचारी की मदद अत्याचार से रोकना है:–

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि0 से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया अपने भाई की मदद करो चाहे वह ज़ालिम (अत्याचारी) हो या मज़लूम (उत्पीड़ित), एक आदमी ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल0 मैं मज़लूम और उत्पीड़ित व्यक्ति की मदद तो कर सकता हूँ लेकिन ज़ालिम और अत्याचारी की मदद कैसे करूँ? आप सल्ल0 ने फरमाया तुम उसको जुल्म और अत्याचार से रोक दो, यही ज़ालिम और अत्याचारी की मदद है। (बुख़ारी)

बुराई से बचना भी सद्क़ा (एक प्रकार का दान) है:–

हज़रत अबू मूसा अश्अरी रज़ि0 बयान करते हैं कि आप सल्ल0 ने फरमाया– हर मुसलमान पर सदका ज़रूरी है, रावी (इस हदीस को बयान करने वाले) ने आप सल्ल0 से कहा– क्या ख्याल है अगर वह सदका करने की ताक़त न रखता हो? आप सल्ल0 ने फरमाया–अपने हाथ (की मेहनत) से खाए, खुद फायदा उठाए और सदक़ा भी करे, रावी ने कहा क्या ख्याल है अगर वह इसकी भी ताकत न रखता हो? आप सल्ल0 ने फरमाया– किसी ज़रूरतमन्द की मदद करे। कहाः अगर इसकी भी ताक़त न रखता हो? आप सल्ल0 ने फरमाया वह खुद बुराई से रुके यह भी सदक़ा है। (बुखारी व मुस्लिम)

ज़रूरतमन्द की सिफारिश (अनुशंसा) करने पर सवाब और बदलाः–

हज़रत अबू मूसा अश्अरी रज़ि0 का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 के पास जब कोई ज़रूरतमन्द आता था तो आप सल्ल0 अपने साथियों की तरफ देखते और फरमाते– सिफारिश करो और अज्र हासिल करो। अल्लाह तआला अपने रसूल (संदेष्टा) की ज़बान से जो चाहता है फैसला करवा देता है। (बुखारी व मुस्लिम)

अच्छे और बुरे काम की तरफ बुलाने का सवाब और सज़ाः–

हज़रत अबू हुरैरः रज़ि0 बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया– जो अच्छे रास्ते की तरफ बुलाएगा उसको उन तमाम लोगों का सवाब मिलेगा जो उस पर चलेंगे और उनके सवाब में कुछ कमी न होगी, और जो गुमराही की तरफ बुलाएगा उसको उन सब का गुनाह होगा जो उस पर अमल करेंगे और उनके गुनाहों में कुछ कमी न होगी। (मुस्लिम)

मोमिन–मोमिन का आईना है:–

हज़रत अबू हुरैरः रज़ि0 बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया– ईमान वाला ईमान वाले के लिए आईना है, मोमिन–मोईन का भाई है, वह उसकी जाइदाद की देख–रेख करता है और उसकी मदद करता है। (अबू दाऊद)

हज़रत अबू हुरैरः रज़ि0 से रिवायत है कि हुजूर सल्ल0 ने फरमाया तुम में का हर आदमी अपने भाई के लिए आईना है, अगर उसमें कोई गन्दगी देखे तो उसको दूर करे। (तिर्मिज़ी)

सम्मान–इज़्ज़त रखना बड़ा सवाब है:–

हज़रत अबू दर्दा रज़ि0 बयान करते हैं कि हुजूर सल्ल0 ने फरमायाः जो आदमी अपने भाई की इज़्ज़त बचाएगा अल्लाह उसको कयामत के दिन जहन्नम की आग से बचाएगा। (तिर्मिज़ी)

शेष पृष्ठ ....11..पर

सम्पादकीय

हज एक अहम इस्लामी इबादत

मुहम्मद गुफ़रान नदवी

ईमान लाने के बाद इन्सान इस्लाम धर्म में दाख़िल हो जाता है और क्रमानुसार इस्लामी इबादात उस पर लागू हो जाती हैं। चौबीस घण्टों में पाँच नमाज़ें निर्धारित समय पर पढ़ना फर्ज है। नमाज़ हर आक़िल बालिग़ मर्द औरत पर चाहे वह आलिम हो या जाहिल, ग़रीब हो या अमीर, शहरी हो या देहाती, सब पर अनिवार्य है, कुर्आन में नमाज़ के साथ ज़कात की अदाइगी का हुक्म दिया गया है लेकिन ज़कात की अदाईगी के लिए साहिबे निसाब होना ज़रूरी है। इसी प्रकार रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना फर्ज है, हज मालदार मुसलमानों पर ज़िन्दगी में केवल एक बार फर्ज़ है, इस समय आपके सामने हज के विषय पर विस्तार से बात करनी है।

अल्लाह तआला फरमाते हैं ***''लोगों पर अल्लाह का यह हक़ है कि जो उसके घर तक पहुंचने की इस्तिताअत सामर्थ्य रखता हो वह उसका हज करे।''***

(सूरः आले इमरान-97)

हज क्या है? ख़ान-ए-काबा की ओर अल्लाह के हुक्म के अनुसार आना, तवाफ़ और सई करना और अरफ़ात में ठहरने और रसूले करीम सल्ल0 के सिखाए हुए तरीक़े के अनुसार अरकान अदा करने को हज कहते हैं।

तमाम आमाल का दारोमदार नीयत पर है, नीयत यह हो कि अल्लाह को राज़ी व ख़ुश करना है, नाम व नुमूद दिखावा बिल्कुल न हो, हज जैसा अमल जिसे ज़िन्दगी में एक बार करना है, उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, शैतान, हम इन्सानों का बड़ा मक्कार और अय्यार दुश्मन है। वह हमारे हर नेक अमल और हर इबादत को ख़राब व बरबाद करने की ऐसी ऐसी ख़ुफ़या और बारीक कोशिशें करता रहता है कि जिन का हमें पता भी नहीं चलता, हज चूंकि बहुत ही आला दर्जे का नेक अमल है और इससे बन्दे के दीन में और उसके दरजों में बहुत तरक़्क़ियाँ होती हैं और अगर वह ठीक तरह से अदा हो जाए तो उससे सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, इसलिए शैतान उसे ख़राब और बरबाद करने की बड़ी गहरी कोशिशें करता है– इस लिससिले में उसकी सबसे पहली कोशिश यह होती है कि किसी तरह बन्दे की नीयत ख़राब करदे, हाजी साहिबान को चाहिए कि शैतान की इस शरारत से सावधान रहें और अपनी नीयत और दिल की बराबर देख भाल करते रहें, शैतान आपके दिल में इस क़िस्म के ख़्यालात डालने की कोशिश करेगा कि हज करने से लोग हमें बहुत अच्छा और नेक समझने लगेंगे, हमारी इज़्ज़त ज़्यादा करने लगेंगे, हमारी बात का एतिबार बढ़ जाएगा कभी कभी वह यह वसवसा डालेगा कि चलो मक्का शरीफ़ देखेंगे, मदीना शरीफ़ देखेंगे आदि, आप इन में से किसी चीज़ को भी अपने इस मुबारक सफ़र का उद्देश्य न समझें और इन सब बातों को दिल से निकाल कर बस अल्लाह के आदेश का पालन करें, उसके फ़र्ज़ की अदाएगी और उसकी रज़ामन्दी

और आखिरत के सवाब को वास्तविक उद्देश्य और लक्ष्य बनायें और रवाना होने से पहले और रवानगी के बाद रास्ते में अपनी नीयत और अपने दिल की शैतानी वस्वसों से बराबर हिफ़ाज़त करते रहें, अगर ख़ुदा न ख़्वास्ता शैतान नीयत ख़राब करने में कामयाब हो गया तो सारी मेहनत और सारा अमल बरबाद हो जाएगा, हर अमल के कुबूल होने की पहली शर्त नीयत की दुरुस्ती है।

तात्पर्य यह है कि पूरी कोशिश करें कि इस यात्रा से आपका उद्देश्य यह हो कि अल्लाह का आज्ञा पालन करके उसकी प्रसन्नता, उसके अज़ाब से नजात और वह सवाब हासिल कर सकें जिसका वादा हज करने वालों के लिए कुरआन शरीफ़ और हदीस शरीफ़ में किया गया है– नीयत की दुरुस्ती के लिए और शैतान के वसवसों से दिल की हिफ़ाज़त के लिए आप अल्लाह तआला से दुआ भी करते रहें अगर अल्लाह का फ़ज़्ल शामिल हाल हो तो शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चूंकि हर अमल की कामयाबी और नाकामयाबी अच्छी बुरी नीयत पर निर्भर है इसलिए इतनी विस्तार पूर्वक बात कही गई, हज के मुबारक सफ़र पर जाने वाले हर मुसलमान भाई को मेरा दूसरा ख़ास मशवरा यह है कि हज के लिए रवाना होने से पहले अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम हफ़्ते दो हफ़्ते किसी ऐसे दीनी माहौल में अवश्य गुज़ारें जहां रहने से अल्लाह से सम्बन्ध और उसकी मुहब्बत बढ़े, उसकी याद का ज़ौक़ और उसकी इबादत का शौक़ तरक्क़ी करे और दुनिया की फ़िकरों में कमी और आख़िरत की फ़िक्र में ज़्यादती हो, यह चीज़ें अल्लाह के सच्चे और अच्छे बन्दों के साथ रहने से पैदा हो जाती हैं– और इसकी एक आसान और अति लाभदायक सूरत मेरे इल्म और अनुभव के अनुसार यह है कि एक दो हफ़्ते किसी ऐसी तबलीग़ी जमात के साथ गुज़ारें जो ख़ास तौर से हाजियों में काम करने के लिए निकली हुई हो और जिसके तालीमी प्रोग्राम में हज के आदाब और उसका तरीक़ा सीखने सिखाने का काम विशेष प्रबंध से हो– मेरी गुज़ारिश सिर्फ़ यह है कि बैतुल्लाह पर हाज़िरी से पहले अपने दिल को अल्लाह तआला की मुहब्बत और याद से आबाद करने के लिए कुछ न कुछ उपाय आप ज़रूर करें ताकि हज का भलीभांति फ़ाइदा उठा सकें और ख़ाली वापस न आएं।

हज़ के फ़राएज़ः–

1. एहराम (दो ग़ैर सिली चादरें) पहन कर हज की नीयत दिल से करना और तलबिया (अल्लाहुम्मा लब्बैक.....) कहना।

2. वक़ूफ़े अरफ़ात यानी मैदाने अरफ़ात में ठहरना, चाहे वह एक लम्हे ही के लिए क्यों न हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया ''हज अरफ़ात में ठहरने का नाम है'' (जामे तिर्मिज़ी हदीस–880)

3. तवाफ़े ज़ियारत जो दसवीं ज़िलहिज्जा की सुबह से ले कर बारहवीं ज़िलहिज्जा के मग़रिब तक किया जा सकता है।

हज के वाजिबातः–

1. अरफ़ात में सूरज डूबने तक ठहरना ।

2. वक़ूफ मुज़दलफ़ा।

3. बड़े वाले शैतान की रमी करना (कंकरी मारना)।

4. दसवीं ज़िलहिज्ज़ा की रमी, कुर्बानी और हलक़ (सर मुंडाना) क्रमानुसार करना।

5. सफ़ा मरवा के बीच सई करना (दौड़ना)

6. ग्यारह व बारह ज़िलहिज्जा की रमी।

7. तवाफ़े विदाअ़।

8. दस, ग्यारह, बारह तारीख़ की रात मिना में गुज़ारना।

उमरा के फ़राएज़ः–

1. मीक़ात से एहराम बांधना, नीयत करना और तलबिया पढ़ना।

2. खान–ए–काबा का तवाफ़ करना और तवाफ़ के बाद मुकामे इब्राहीम पर दो रकअ़त नमाज़ पढ़ना।

उमरा के वाजिबात :–

1. सफ़ा और मरवा के बीच सई करना (तवाफ़ के बाद) सई सफ़ा से शुरु करना और मरवा पर ख़त्म करना,

2. सर के बाल मुंडवाना या कतरवाना।

एहराम की हक़ीक़तः–

एहराम के माने हैं बेहुरमती न करना या अपने ऊपर किसी चीज़ को हराम कर लेना, एहराम नाम है हज या उमरा या दोनों की नीयत से तलबिया पढ़ने का, दो चादरों को एहराम नहीं कहा जाता है बल्कि यह एहराम के कपड़े होते हैं, बग़ैर सिले हुए, क्योंकि हज व उमरा करने वाले पर नीयत और तलबिया की वजह से सिले हुए कपड़े पहनना मना है, इसलिए इन दो चादरों को पहना जाता है।

तल्बियाः–

लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक, इन्नल हम्दा, वन नेमता लका वल्मुक ला शरीका लक (मैं हाज़िर हूँ ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाज़िर हूँ, बेशक तमाम तारीफ़ें और नेमतें तेरी ही हैं और बादशाहत भी, तेरा कोई शरीक नहीं।

❖❖❖

पृष्ठ .....08... का शेष

अच्छी नीयत और सही भावना से हर काम सद्क़ा (दान) हैः–

हज़रत अबू ज़र रज़ि0 से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया– अपने भाई के सामने मुस्कुराना भी सदक़ा है, तुम्हारा भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना भी सद्क़ा है, किसी भटके हुए मुसाफिर को रास्ता बताना भी सद्क़ा है, कमज़ोर निगाह वाले को रास्ता बताना भी सद्क़ा है, रास्ते से पत्थर, काँटा, हड्डी आदि का हटा देना भी एक सद्क़ा है, अपने मटके का पानी भाई के मटके में डाल दो यह भी एक सद्क़ा है।

(तिर्मिज़ी)

मरने के बाद ये तीन चीज़ें फायदा पहुँचाती हैंः–,

हज़रत अबू हुरैरः रज़ि0 बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमायाः जब इंसान मरता है तो उसके सारे आमाल (कर्म) खत्म हो जाते हैं, अलावा तीन अमलों (कर्मों) के–

(1). सदका ज़ारिया (वह सद्क़ा जिसका सवाब उसको हमेशा मिलता रहे)।

(2). वह इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए।

(3). नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। (मुस्लिम)

भली राह बताने पर बड़ा सवाब हैः–

हज़रत अबू मसऊद बदरी रज़ि0 से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया– जो आदमी भली राह दिखाएगा उसको उसके करने वाले के बराबर सवाब मिलेगा।

(मुस्लिम)

अनुरोध

अगर आपको "सच्चा राही" की सेवाएं पसन्द हों तो आप से अनुरोध है कि "सच्चा राही" के नये ग्राहक बनाने का प्रयास करें, अल्लाह आपको अज्र देगा और हम आपके आभारी होंगे।

(सम्पादक)

पिछले अंक से आगे

इस्लामी अक़ीदे (विश्वास)

मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी

इस्मतः—

नबूवत और रिसालत की सबसे अहम खुसूसियत इस्लाम ने यह क़रार दी है, कि नबी व रसूल गुनाहों से पाक और बुराइयों से महफूज़ और मासूम होते हैं, अल्लाह के नज़दीक यह सारे नबियों व रसूलों की सामान्य विशेषता है, क्योंकि गुनहगार को गुनहगारों की रहनुमाई का अधिकार नहीं और अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता है, इसी बिना पर मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वह़ी व शिक्षा ने खुदा के तमाम रसूलों की अज़मत व बुज़ुर्गी दुनिया में कायम की।

तमाम नबियों और रसूलों के सरदार हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैही व सल्लम हैं, आपकी बेसत तमाम दुनिया के लिए और क़यामत तक के लिए है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में मासूम होने का अक़ीदा रखना अक़ीद—ए—रिसालत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बगैर ईमान मोतबर नहीं।

हर नबी यकीनन इंसानों ही में आया है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी इन्सान ही हैं लेकिन इंसानों से बुलंद बाला पाक और मासूम, एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैही व सल्लम खाते पीते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने शादियां फरमाई हैं, इंसानी खुसूसियात और तक़ाजे आपकी जिंदगी में नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ अपनी रूहानियत मासूमियत और खुसूसियाते नबूवत के ऐतबार से इंसानों से बहुत बुलंद हैं, यह खुसूसियात किसी को हासिल नहीं हो सकती।

इस्लाम की यह वह संतुलित तालीम है जिसने रसूल को ना खुदा, न देवता, न फरिश्ता, न खुदा का बेटा करार दिया, और न आम इंसानों जैसा इंसान करार दिया, बल्कि इंसानों में एक ऐसा इंसान करार दिया जिसकी रूहानियत व अख़लाक़ का स्तर इंसानों से बहुत बुलंद होता है, और आम इंसानों के लिए नमूना होता है ।

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में इन अक़ायद का रखना हर ईमान वाले के लिए लाजिम है, और उसका तकाजा यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की अजमत भी दिल में सबसे बढ़ कर हो, और मुहब्बत भी सबसे बढ़ कर हो, इसको ईमान की अलामत क़रार दिया गया है, अल्लाह तआला का खुद इरशाद है ''नबी का मोमिनों पर उनकी जान से ज्यादा हक़ है'' और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया तुम में कोई भी व्यक्ति उस समय तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नज़दीक उसके वालिद और लड़के और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब न हो जाऊं।

शिफाअतः—

शिफाअत एक अज़ीम तोहफा है, जो अल्लाह तआला के लिए अपने महबूब और आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जरिए से आपकी उम्मत को अता फरमाया है, इसके जरिए न जाने कितनी बड़ी तादाद में वह लोग जहन्नम से छुटकारा पाएंगें, जो उसके मुस्तहिक़ हो चुके थे, मगर इसके बारे में चंद वजाहतें जरूरी हैं, इसलिए कि

आज इसका बहुत गलत तसव्वुर उम्मत में पैदा हो गया है, अधिकतर लोगों का यह ख्याल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह चाहे या ना चाहे उम्मत को बख्शवा ही लेंगे, और एक तबक़ा यहां तक कहने लगा है, कि कुछ करो या ना करो, अल्लाह के रसूल से मुहब्बत रखो यह बख्शिश के लिए काफी है। यह खालिस मुशरिकाना तसव्वुर है पहली बात जो लोग यह कहते हैं वह मुहब्बत का सिर्फ नाम लेते हैं, मुहब्बत उनके दिल में नहीं होती है, वरना हक़ीक़त में मुहब्बत करने वाला महबूब की बात भी मानता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जो मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा वह मुझे चाहेगा और जो मुझे चाहेगा वह मेरे साथ जन्नत में होगा।

(तिर्मिज़ी 2894)

इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक थर्मामीटर दे दिया है इससे हर मोमिन आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत को जांच सकता है, दूसरे यह कि कुर्आन–ए–मजीद में कई जगहों पर शिफाअत की वजाहत फरमा दी है कि कोई भी शिफाअत अपनी तरफ़ से नहीं कर सकता, जो भी करेगा अल्लाह के हुक्म और उसकी इजाज़त से ही सिफारिश कर सकेगा ।

अल्लाह तआला फरमाता है *''कौन है जो बगैर उसकी इजाज़त के उसके पास सिफारिश कर सके''*

(सूरः बकरा–255)

दूसरी जगह पर है ''और वह किसी की सिफारिश नहीं कर सकते मगर हां जिसके लिए उसकी मर्जी हो और वह उसके डर से कांपते रहते हैं''।

(अल अंबिया–28)

शिफाअत का तमाम हक़ असलन अल्लाह ही के पास होगा इरशाद होता है *''बता दीजिए कि सारी सिफारिश अल्लाह ही के इखतियार में है उसी के पास आसमान और ज़मीन की बादशाहत है फिर उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है''।*

(सूरः जुमर–44)

बगैर उसकी इजाज़त किसी को उसके सामने बोलने का भी हक़ नहीं होगा।

जिस दिन रूह और फरिश्ते सफ़ बस्ता खड़े होंगे वह बोल न सकेंगें सिवाय उसके जिसको रहमान इजाजत दे और वह ठीक बोले।

(सूरः नबा–38)

अल्लाह यह शिफाअत सबसे बढ़ कर अपने महबूब हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को आता फरमाऐंगे क़यामत के दिन खास तौर पर आपकी आम शिफाअत से सारे इंसान फायदा उठाएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इरशाद फरमाते हैं हर नबी को कोई न कोई ऐसी दुआ दी गई है जिसको कुबूल होना ही है मैंने अपनी उस दुआ को अपनी उम्मत के लिए छुपा रखा है।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खातमुन्नबीयीन हैं, नबूवत के सिलसिले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल कर दिया गया, आप के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, अल्लाह ताआला इरशाद फरमाते हैं– ''आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल और आखरी नबी हैं'' हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ''मेरे बहुत से नाम हैं, मैं मुहम्मद हूं, मैं अहमद हूं, और मैं माही हूं, अल्लाह ताआला मेरे ज़रिए कुफ्र को मिटाता है, और मैं हाशिर हूं, मेरे नक्शे क़दम पर लोग जमा होते हैं, और मैं आकिब हूं, ऐसा आक़िब कि अब मेरे बाद कोई नहीं।''

❖❖❖

पिछले अंक से आगे

भारत के अतीत में मुस्लिम शासकों की धार्मिक निष्पक्षता

सैयद सबाहुद्दीन अब्दुर्रहमान

बच्चे का जन्म और अक़ीक़ाः—

गर्भ काल के चौथे महीने बच्चे के लिए कुर्बानी दी जाती है। इसको सीमी ततूतन कहा जाता है। बच्चा जब पैदा हो जाता है तो जन्म होने और दूध पिलाने के बीच भी कुर्बानी की जाती है जिसका नाम जात कर्म है। जब औरतों का प्रसव रकतस्राव काल समाप्त हो जाता है तो बच्चे का नाम रखा जाता है, उस समय भी कुर्बानी की जाती है। जिसको नामकरण कहा जाता है। जब तक औरत प्रसवस्राव की दशा में रहती है, किसी बर्तन के पास नहीं जाती है। न उसके घर के अन्दर कोई चीज़ खायी जाती है और न ब्राह्मण उसके घर में आग सुलगाता है। दूध पिलाने की अवधि अधिक से अधिक तीन वर्ष है, अक़ीक़ा तीसरे वर्ष होता है, कान छेदन की रस्म सातवें या आठवें वर्ष होती है।

सजाओं के तरीक़ेः—

अल बैरूनी की किताबों से पता चलता है कि हत्या, चोरी, मद्यपान और व्यभिचार के लिए कठोर सज़ाओं के क़ानून थे। अगर हत्यारा ब्राह्मण और जिसकी हत्या की गयी हो वह दूसरी जातियों का होता तो ब्राह्मण को सज़ा तो नहीं दी जाती लेकिन उसको प्रायश्चित अदा करना पड़ता। वह व्रत रखता, दान करता और पूजा में लीन रहता। यदि मरने वाला भी ब्राह्मण होता तो यह बड़ा पाप समझा जाता जिसको प्रायश्चित भी दूर नहीं करता। उसकी सज़ा परलोक में मिलती। ब्राह्मण की हत्या के बाद सबसे बड़ा पाप गाय की हत्या करना समझा जाता है। इसके बाद शराब और व्यभिचार का पाप था। ब्राह्मण या क्षत्रिय शराब या व्यभिचार के पाप में लिप्त होते तो उनकी सम्पत्ति जब्त करके उनको देश से बाहर निकाल दिया जाता। ब्राह्मण यदि चोरी करता तो उसकी आँखें निकलवा ली जातीं, फिर उसका एक तरफ़ का हाथ और दूसरी तरफ़ का पैर कटवा दिया जाता, इन दोनों के अतिरिक्त अन्य चोरों को क़त्ल कर दिया जाता। व्यभिचारिणी औरत पति के घर से निकाल दी जाती। और वह निर्वासन में रहती।

विरासतः—

सभी औरतें विरासत के अधिकार से वंचित हो जाती हैं। मनु की किताब में है कि बेटी का हिस्सा बेटे के हिस्से का एक चौथाई है। मृतक के वारिस केवल पुरुष हो सकते हैं नियम यह है कि मृतक के नीचे वालों का अधिकार अधिक मज़बूत है और वह ऊपर वालों की तुलना में छोड़ी हुई सम्पत्ति के अधिक हक़दार हैं अर्थात बेटी और बेटे की सन्तान को पिता और दादा पर वरीयता है। फिर जो लोग ऊपर या नीचे एक ही तरफ़ में हैं। उनमें जो लोग मृतक से अधिक निकट हैं। वह उनकी तुलना में अधिक हक़दार हैं जो उससे दूर हैं अर्थात बेटा पोते की तुलना में और पिता दादा की तुलना में अधिक हक़दार हैं। जो लोग रिश्ते के सीधे सिलसिले से इधर—उधर बँट गए हैं, जैसे भाई, वह कमज़ोर हैं और केवल

शेष पृष्ठ ....28..पर

हिन्दुस्तानी मुसलमानों के लिए सही राहे अमल

मौलाना जाफर मसऊद हसनी नदवी
(नव नियुक्त नाजिरे आम नदवतुल उलमा)

आप मुत्तफिक़ हों या न हों लोगों का तो यही ख़्याल है कि गर्म तकरीरों और जज़बाती बयानात से मसायल हल होते नहीं बिगड़ते ज़रूर देखे हैं, यह माना कि सख़्त रद्दे अमल और चैलंज भरा अंदाज़ सियासी लीडरों की अपनी मजबूरी होती है, इसी से उनकी लीडरी चमकती और इसी पर उनकी वाह वाह होती है।

यह माना कि कभी कभी और कहीं कहीं सख़्त लहजा और धमकी आमेज़ रवय्या अपनाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यह भी तो सच है कि हर जगह और हर वक़्त इस लहजे में बात करना अपनी बात के असर को ज़ाएल करना, अपने क़द को छोटा करना और अपने वज़न को हलका करना है।

यह बात भी कुछ अजीब सी है कि हमारे बाज़ लीडरान जो मुस्लिम बाहुल्य इलाक़ों में एक सुरक्षित जगह रहते हैं वह अक्सर उन मुसलमानों को भूल जाते हैं जो ग़ैर मुस्लिम इलाक़ों में ग़ैर महफ़ूज़ (असुरक्षित) ज़गह बसते हैं, और हवा के गर्म झोंकों से कुछ ज़्यादा ही मुतअस्सिर (प्रभावित) होते हैं, गर्ममिज़ाज लीडरों को बिरादराने वतन को चैलंज देने और शासन के उत्तरदायियों को फटकार लगाने से पहले यह ज़रूर सोच लेना चाहिए कि उनके इस चैलंज और उनकी इस फटकार का प्रभाव उन इलाकों में क्या पड़ेगा जहां उनके भाई अल्पसंख्या में हैं और चारों ओर से घिरे हुए भी हैं, सुरक्षित क़िलों में रहने वालों को कुछ न कुछ ख़्याल झोपड़ों में रहने वालों का भी करना चाहिए, सिर्फ़ लुत्फ़ अन्दोज़ी (मनोरंजन) की ख़ातिर दुआ करने से पहले टपकती छत वालों की बेचारगी पर भी नज़र डाल लेनी चाहिए।

कट्टर हिन्दू पंथी लीडर यदि एक ओर नफ़रत की आग उगल रहे हैं तो दूसरी ओर हमारे कुछ गर्म मिज़ाज लीडर उस आग पर नफ़रत का तेल छिड़क कर उन भड़कते हुए शोलों को आसमान तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, नफ़रत की आग जब लगती है तो बहुसंख्यक के लिए नहीं सिर्फ़ अल्पसंख्यक के लिए ही तबाहकुन (नष्टकारी) साबित होती हैं, जिसकी एक नहीं सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं, लेकिन लोगों का हाल यह है कि आप उनसे इस तरह की तक़रीरों के मनफ़ी (नकारात्मक) असरात पर गुफ़तगू करें तो वह यही कहेंगे कि फिर बुज़दिलों (कायरों) की तरह सुनते रहिए, ऐसे लोगों से सिर्फ़ यही कहा जा सकता है कि बहादुर बन कर पिटने से बेहतर है कि बुज़दिल बन कर सुन लिया जाये, बात अगरचि पुरानी है परन्तु उसका उल्लेख अनुचित नहीं होगा, बाबरी मस्जिद का मसअ़ला चल रहा था, बाराबंकी में इस तरह के कुछ गर्म मिज़ाज, पुरजोश (उत्तेजित) तक़रीर करने वालों ने अपनी शोला बयानी से माहौल में इतनी गर्मी पैदा कर दी कि एक बड़ा फसाद (दंगा) हो गया, पुलिस फ़ाइरिंग में कई मुसलमान शहीद हो गये, उस रात मौलाना अली मियाँ रह0 देहली जा रहे थे, गर्म तक़रीर करने वालों का

वही टोला स्टेशन पहुंचा और जा कर मौलाना अली मियाँ रह0 से बहादुरों की तरह नहीं बुज़दिलों (कायरों) की तरह फ़रयाद की, कि हुकूमत पर दबाव डाल कर पुलिस एकशन रुकवाइये, मौलाना ने उस वक़्त जो जुमला उनसे कहा वह भी सुन लीजिए मौलाना ने कहा ''दूसरों को तो आपने शहीद करवा दिया ख़ुद शहीद नहीं हुऐ?''

इतिहास से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बशरते कि इतिहास का अध्ययन सीखने के इरादे से किया जाये और उससे परिणाम निकालने की कोशिश की जाये, आज से 1400 साल पहले जब सूखे पहाड़ों से घिरे मक्का नामी शहर में केवल चार लोगों पर आधारित एक अल्पसंख्यक समूह था उसमें एक महिला और एक नई उम्र का बच्चा भी था इस छोटे से समूह के अतिरिक्त बहुत से क़बीलों पर आधारित बहुसंख्यक थे जिनकी दुशमनी और नफ़रत इस छोटे समूह से इतनी अधिक थी कि आज की दुनिया में किसी भी देश में उस दुशमनी और नफ़रत का दसवां हिस्सा भी किसी बहुसंख्यक को किसी अल्पसंख्यक से नहीं होगा, परन्तु थोड़ा ही समय बीता कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में परिवर्तित हो गये, फिर यह बदलाव ऐसा आया कि अब तक वहां कोई अल्पसंख्यक नहीं, जहां कल शतप्रतिशत कुफ़्र था आज वहां शत प्रतिशत इस्लाम है।

क्या मक्के के उस अल्पसंख्यक समूह का तजुर्बा (अनुभव) आज दोहराया नहीं जा सकता? क्या दुशमनी का जवाब दोस्ती से, नफ़रत का मुहब्बत से, दुरव्यवहार का सद्व्यवहार से, झूठ का सच से, कठोरता का नम्रता से, आग का पानी से जोश को होश से, अन्याय का न्याय से, कड़वे बोल का मीठे बोल से नहीं दिया जा सकता? यूं तो हम कहते रहते हैं कि हमारे लिए नमूना (आदर्श) केवल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं और हमारे नबी के सहाबा रज़िअल्लाहु अनहुम हैं, लेकिन क्या उन नमूनों (आदर्शों) को अपनाने की कोशिश करते हैं।

हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दुशमनों की दुशमनी का जवाब कैसे दिया? क्या उसी तरह जिस तरह हम दे रहे हैं? देखिए मक्का के फ़तेह (विजय) के मौक़े पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का तर्ज़अमल (कार्य प्रणाली) हमें क्या राह दिखा रहा है, फ़तेह मक्का के दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सुना कि सअ़द बिन उबादह रज़ि0 ने अबू सुफ़यान को देख कर कहा ''आज का दिन बदले का दिन है, आज कअ़बा में आज़ादी के साथ अमल किया जायेगा, आज अल्लाह ने कुरैश को ज़लील किया है।'' तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन शब्दों के बदले में यह एलान फ़रमाया ''आज रहमते आम का दिन है आज अल्लाह कुरैश को इज़्ज़त देगा, आज काबा की इज़्ज़त बढ़ाई जायेगी''। इस एलान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सअ़द बिन उबादह से झण्डा ले कर उनके बेटे को दे दिया और साथ साथ आपने अबूसुफ़यान के घर को ''दारुलअमान'' (शरण का घर) क़रार दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस अमल का नतीजा यह निकला कि अबूसुफ़यान की दुशमनी, मुहब्बत और अदावत दोस्ती में बदल गई।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तो अपने दुशमनों के लिए भी तड़पते थे, व्याकुल होते थे बदला लेने के लिए नहीं सत्य मार्ग पर लाने के लिए, पराजित करने के लिए नही, अपने निकट लाने और अपनाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए, आज आवश्यकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस आचरण को अपनाया जाय और भटके हुए को राह पर लाने के लिए व्याकुल हुआ जाय।

ग़लत फ़हमी (भ्रान्ति) दूर करने, बद गुमानियां (दुर्भावनाओं) को दूर करने, लोगों के दिलों में अपने आचरण की जगह बनाने तथा देश और देशवासियों के अपने हितैशी होने का विश्वास दिलाने का अवसर पार्लियामेन्ट से अच्छा और कोई स्थान नहीं, जबकि हमारे मुस्लिम नेता इस ओर ध्यान दें, कि वह अपनी राजनीतिक पार्टी के साथ इस्लाम के भी प्रतिनिधि हैं, जहां उनको अपनी पार्टी के हित का ख़्याल रखना, उसके एजण्डे के अनुकूल काम करना और अपने राजनीतिक हितों को सामने रखना है, वहीं उनकी ज़िम्मेदारी ये भी है कि वह इस्लामिक आचरण, इस्लामिक स्वभाव और इस्लामिक मीठी बोली के द्वारा इस्लाम के विषय में पायी जाने वाली भ्रान्तियां तथा दुर्भावनायें दूर करें।

पार्लियामेन्ट में सत्ता वाले मिम्बरान होते हैं और बाल की खाल निकालने वाले अपोज़ीशन पार्टियों के मिम्बरान भी होते हैं, उनमें से अधिकांश इस्लाम और मुसलमानों से अपर्चित होते हैं न वह इस्लामी विश्वास के विषय में, न इस्लामी स्वभाव के विषय में कुछ जानते हैं। वह कुरआन को रामायण की तरह एक पुस्तक जानते हैं और नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को राम और कृष्ण की तरह अवतार जानते हैं, वह मस्जिद को मन्दिर की भांति एक पूजा स्थल समझते हैं, और नमाज़ को मन्दिर में बजने वाले घण्टे की तरह पूजा का एक तरीक़ा।

अब आप ही सोचिए अगर पार्लियामेन्ट में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कोई क़ानून बनता है, अदालतों से कुरआन व हदीस के खिलाफ कोई फैसला आता है तो क्या उसमें हमारा कुसूर नहीं है? सैकड़ों साल से इस मुल्क में रहते हुए और यहां के ग़ैर मुस्लिमों के साथ मिलकर काम करते हुए हम आज तक उन्हें ये नहीं बता सके कि कुरआन क्या है? हदीस क्या है? नमाज़ क्या है? जक़ात क्या है? रोज़ा क्या है? हज क्या है? निकाह क्या है? विरासत क्या है? चार शादियों का मसलह क्या है? मुर्दा दफ़नाने में हिकमत क्या है? ख़तने का क्या लाभ है पर्दे का मक़सद क्या है? दाढ़ी का मुआमला क्या है? उस समय बात और बिगड़ जाती है, जब शासन अपनी अज्ञानता के कारण कोई ऐसा बिल लाता है जिससे किसी शरई हुक्म का विरोध होता है तो उस पार्टी से सम्बन्धित कितने मुस्लिम मिम्बरान उस बिल का अर्थ घुमा फिरा कर बता कर बिल पास करा के पार्टी को अपना हितैषी होना सिद्ध करते हैं, जबकि दूसरी ओर अपोज़ीशन पार्टी के मुस्लिम मिम्बरान उस बिल को इस्लाम मुख़ालिफ़ (इस्लाम का विरोधी) कह कर और चिल्ला चिल्ला कर आसमान सर पर उठा लेते हैं।

पार्लियामेन्ट के मुस्लिम मिम्बरान का ये विभाजन तथा दीन का विरोध करने वाले

मिम्बरान का ये कुस्वभाव शासन को ये संदेश देता है कि उनका ये विरोध प्रदर्शन केवल राजनीतिक है मज़हब, धर्म से इसका कोई लेना देना नही है इसलिए कि शासन स्वयं देखता है कि जो लोग पार्लियामेन्ट में बिल पास कराने के लिए दीन का विरोध कर रहे हैं वह अपने व्यक्तिगत जीवन में दीन अपनाए हुए हैं दीन का सहयोग करते हैं मुस्लिम मिम्बरों के कथन तथा कर्म के विरोध का प्रभाव भी शासन को उचित निर्णय लेने में रुकावट बनता है।

हर मसअले (समस्या) को राजनीतिक रंग देना और प्रदर्शन में उसको सड़क पर ले आना ज़िन्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाना, अपनी मांगों का वह मार्ग अपनाना जिसे राजनीतिक पार्टियां अपनाती हैं, समस्या को और बिगाड़ देता है। लोकतांत्रिक देश में जनता की अनदेखी नहीं की जा सकती अगर हम सड़कों पर आयेंगे और भीड़ एकत्र करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे तो दूसरे जो हमसे शक्ति में अधिक हैं हमसे संख्या में अधिक हैं वो भी यही रास्ता अपनायेंगे और ये रास्ता अल्पसंख्यक के लिए हानिकारक तथा बहुसंख्यक के लिए लाभदायक होगा। बीते समय में होने वाली घटनायें इस पर साक्षी हैं।

हमारे देश के चोटी के लीडर इस्लाम धर्म से कितना परिचित हैं जिसका अनुमान इस वाक़िये से लगाया जा सकता है कि मुस्लिम तलाक़ पायी हुई औरत के गुज़ारे के विषय पर भारत में एक युद्ध छिड़ा हुआ था राजीव गाँधी उस समय प्रधान मंत्री थे, इस समस्या के समाधान के लिए मुस्लिम प्रसनल ला बोर्ड और प्रधानमंत्री के बीच बातचीत का सिलसिला चल रहा था रमज़ान का महीना आ गया प्रधान मंत्री से अगली भेंट की जो तिथि मिली वह रमज़ान में थी उस समय प्रसनल ला बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना अली मियां रह0 थे गर्मी का महीना था, मौलाना ने राजीव गांधी को लिखा कि गर्मी का महीना है रमज़ान का मास है हम लोग रोज़ा रखते हैं सफ़र में कठिनाई होगी अतः रमज़ान के बाद भेंट की कोई तारीख दी जाए। राजीव गांधी ने अपनी अज्ञानता से जो उत्तर दिया वह बड़ा आश्चर्य जनक है उन्होंने कहा मौलाना साहब आप लोग रोज़ा जाड़ों में क्यों नहीं रख लेते। मौलाना ने कहा महोदय यह बात कहीं और न कह दीजिएगा। वरना इससे शाहबानो केस से बढ़ कर उपद्रव होगा। यहां आश्चर्य जनक बात ये है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री भी इस्लाम के विषय में कितनी कम जानकारी रखता है।

बात हँसने की नहीं रोने की है कि ऐसा देश जिसमें 25 करोड़ मुसलमान रहते हों और 100 करोड़ बहुसंख्यक लोग रहते हों उसका प्रधान मंत्री देश के मुस्लिम समुदाय के धर्म के विषय में इतनी कम जानकारी रखता हो।

पार्लियामेन्ट में प्रस्तुत किये जाने वाले और विषय से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा में हमारी कोताही किस सीमा तक है, कुछ देर के लिए यह विषय छोड़ दीजिए, अदालतों में फैसलों पर जरा नज़र डालिए मुस्लिम वकीलों की ओर से इस्लामी शरीअत का ग़लत अर्थ प्रस्तुत करना और शरीअत की गलत तशरीह (व्याख्या) के आधार पर गैर मुस्लिम जजों के इस्लाम विरोधी फैसलों पर

निन्दा उन जजों को नहीं मुस्लिम वकीलों की कीजिये, वह अपने मुवक्किलों को जिताने के लिए जाइज़ व नाजाइज की कोई चिन्ता नहीं करते बस उनका मुवक्किल जैसे तैसे भी जीते। वह कुर्आन की आयतों तथा हदीसों का ग़लत अर्थ बताने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाते। फिक़्ही मसाइल का ग़लत अर्थ बता कर अदालत में इस्लाम के विरुध फैसला करवा देते हैं। फिर यह फैसला अदालत का उदाहरण बन जाता है और दूसरे जज भी उसी आधार पर फैसला देने लगते हैं जब कि वह उदाहरण गलत होता है। कुछ दिनों पहले की बात है एक अदालत में मकान के हिबा (भूमिदान) का विवाद गया किसी गैर मुस्लिम ने कुछ मुस्लिम औरतों को वह मकान हिबा किया था, अदालत में किसी तीसरे ने उसके विरोध में चैलेंज किया था, मुस्लिम वकील ने अदालत में यह ग़लत तर्क प्रस्तुत किया कि इस्लाम में मकान हिबा (भूमिदान) के लिए हिबा करने वाले और जिसको हिबा किया जाए दोनों का मुसलमान होना ज़रूरी है।

उन मुस्लिम औरतों के पास हिबा नामा (दान पत्र) था परन्तु मुस्लिम वकील के इस ग़लत तर्क से अदालत कनफ़्यूज़ हुई इस केस में वह मुस्लिम वकील दो टकों के लिए अपने धर्म को भेंट चढ़ा रहा था और अदालत से ग़लत फैसला करवा रहा था।

एक दूसरी घटना लखनऊ ही की है एक पुरानी बोसीदा (जीर्ण) मस्जिद गिरा कर नई बनाई जा रही थी मस्जिद से सम्बन्धित कुछ दुकाने थीं जो मुसलमानों को अलाट थीं वह भी गिरा कर मस्जिद में शामिल की जा रहीं थीं, उन मुसलमान दुकानदारों ने अदालत में मुकद्मा कायम किया और उसमें कहा कि यह मस्जिद नहीं तिजारती कॉम्पलेक्स बनाया जा रहा है, वक्फ बोर्ड का वकील भी ढीला ढाला था, करीब था कि मस्जिद के विरोध में फैसला हो जाये वह तो भला हो उन हिन्दू भाईयों का जिनकी दुकाने मस्जिद के आस पास थीं उन्होंने गवाही दी कि यहां पुरानी जीर्ण मस्जिद थी जो नई की जा रही है इस तरह मस्जिद बच गई सोचिए अगर मस्जिद के विरोध में फैसला हो जाता तो कितना बड़ा मसअला (विवाद) पैदा हो जाता जो मुसलमानों ही का किया धरा था।

शाह बानों का मसअला चल रहा था मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के प्रयास से, प्रधानमंत्री उस केस के विरोध और इस्लाम के हक में बिल लाने पर सहमत हो गये थे उसी समय एक मुसलमान पार्लियामेन्ट मिम्बर आरिफ मुहम्मद खाँ शरीअत की गलत तशरीह (व्याख्या) करके प्रधानमंत्री की ओर से लाये जाने वाले बिल के खिलाफ पार्लियामेन्ट के दूसरे मिम्बरों को बहस के लिए और विरोध में वोट देने के लिए तैयार कर रहे थे, उन्होंने इस विषय पर जो ग़लत तकरीर की थी वह मुसलमानों के लिए बड़ी कष्ट दायक थी वह तो भला हो केन्द्रीय मंत्री ज़ियाउर्रहमान का उन्होंने अल्लाह की तौफीक से पार्लियामेन्ट में ऐसी तकरीर की कि आरिफ मुहम्मद खाँ के ग़लत तर्कों की हवा निकल गई, और तलाक़ पाई हुई औरत के खर्च के विषय में सही इस्लामी मौकिफ इस प्रकार प्रस्तुत किया

कि किसी को कोई संकोच न रहा अन्तः वह प्रधानमंत्री का प्रस्तुत किया हुआ बिल जो इस्लाम के हक में था पास हो गया। जब कि आरिफ मुहम्मद खाँ ने पूरी कोशिश कर ली थी कि यह इस्लाम मुवाफिक बिल मंजूर न हो।

अदालतों के मुकद्दमों में मुस्लिम वकीलों की बहसें सुनें तो हैरान रह जायें दाढ़ी की मुवाफकत (सहमति) में बहस करने वाला वकील भी मुसलमान और उसके विरोध में तर्क प्रस्तुत करने वाला वकील भी मुसलमान।

इस्लाम में औरतों के लिए पर्दा ज़रूरी सिद्ध करने वाला वकील भी मुसलमान और पर्दे को मुस्लिम औरतों के लिए गैर ज़रूरी साबित करने वाला वकील भी मुसलमान।

शरीअत की मुवाफकत (सहमति) में बहस करने वाला वकील भी मुसलमान और अदालत में शरीअत के विरोध में बोलने वाला वकील भी मुसलमान, अदालत में शरई हुक्म के विरोध में मुकद्दमा प्रस्तुत करने वाला वकील भी मुसलमान अब आप ही बताइये कि सेकुलर हुकूमत क्या करे?

इसका यह अर्थ नहीं कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वह भ्रान्ति के आधार पर हो रहा है और दोष मुसलमानों का है ऐसा नहीं है वास्तव में यहां के मिश्रित समाज में कुछ ऐसे इस्लाम विरोधी तत्व रहते हैं जो केवल टकराव चाहते हैं, टकराव के तरीके अपनाते हैं मुसलमानों को क्रोध में लाते हैं उनको उत्तेजित करते हैं, उनको कठोर शब्द बोलने पर उभारते हैं उनकी गैरत को ललकारते हैं उनके स्वाभिमान को जोश दिलाते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि मुसलमान उत्तेजित हो कर वह कर गुजरते हैं कि उससे वातावरण बिगड़ जाता है और मुसलमानों का विरोध उत्पन्न हो जाता है।

ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाये? उसका अच्छा तरीका तो यह है कि निम्नलिखित बातों को अपनाया जायेः–

1. किसी विवाद में अनावश्यक भाग न लिया जाये।

2. ऐसे लोगों के खिलाफ जो वातावरण बिगाड़ते हैं मुस्लिम वकीलों तथा गैर मुस्लिम दक्ष वकीलों से मदद लेकर अदालती कारवाई की जाये।

3. गम्भीरता के साथ उनकी ग़लत बातों का उचित उत्तर दे कर जनता का मस्तिष्क साफ किया जाये।

4. ऐसे लोग जो इस्लाम के विरोध में बोलते हैं और मुसलमानों में बिगाड़ पैदा करते हैं ठण्ड़े दिल से उनसे मिलना चाहिए उनके सामने इस्लाम का सत्य रखना चाहिए और इस्लामिक आचरण से उनको प्रभावित करना चाहिए सत्य तथा इस्लामिक आचरण में बड़ी शक्ति है इस्लामिक आचरण से तो पत्थर भी मोम हो जाता है बस हमारे अन्दर हिकमत से और इख्लास से बात करने का हुनर होना चाहिए। टकराव करके तो बहुत कुछ देख लिया अब टकराव छोड़ कर, अलगाव त्याग कर जोड़ का प्रयास करके उसका परिणाम देख लें।

हमारी कोताही यह है कि हम अपने वतनी भाईयों तक इस्लाम का शुद्ध परिचय न पहुंचा सके न अपने इस्लामी इख्लास (निः स्वार्थता) से उनको अवगत करा सके यह काम करने के हैं और यही इस देश में हमारे लिए सही राहे अमल है। अर्थात शुद्ध कार्य प्रणाली है।

❖❖❖

पिछले अंक से आगे

शिक्षक के गुण

अफ़ज़ल हुसैन

शिक्षक की भाषा

छात्रों की शिक्षा– दीक्षा में शिक्षक की भाषा की भी बड़ी भूमिका होती है। विद्यार्थी चाहे अनचाहे अपने शिक्षक की भाषा बोलने लगते हैं। इसलिए शिक्षक को भाषा के प्रयोग में बहुत सतर्क रहना चाहिए। अगर शिक्षक की भाषा दोषपूर्ण होगी तो छात्रों की भाषा भी दोषपूर्ण हो जाएगी। इस विषय में अल्लाह के रसूल सल्ल0 से हमें निम्नलिखित मार्गदर्शन मिलता है–

1. अल्लाह के रसूल सल्ल0 बहुत ही साफ़, सादा और आमजनों की समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग करते थे। पेचीदा और अलंकारयुक्त भाषा बोलने से बचते थे। कोई भी मुद्दा हो ऐसी भाषा में बताते कि अनपढ़ और साधारण योग्यता के लोग भी अच्छी तरह समझ लेते। शिक्षक का भी छोटे बच्चों से सामना होता है, जिनका शब्द ज्ञान बहुत सीमित होता है। अगर बोलने में इसका ध्यान न रखा गया तो बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्ल0 कम से कम शब्दों में अपनी पूरी बात बता देते। वाक्य छोटे और शब्द सारगर्भित होते। शिक्षक को भी चाहिए कि छोटे –छोटे वाक्यों और कम शब्दों में अपनी पूरी बात रख दे।

2. अल्लाह के रसूल सल्ल0 उन बातों को इशारों में बताते जिन्हें विस्तारपूर्वक बताना शालीनता के विरुद्ध होता। शिक्षक को भी शालीनता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों की भाषा में भी गुण पैदा हो। ग़लत भाषा और असभ्य बात से शिक्षकों को स्वयं भी बचना चाहिए और विद्यार्थियों का भी समय पर सुधार करना चाहिए। बच्चों की भाषा में अक्सर असभ्य और बाज़ारी शब्द प्रवेश करते हैं। बच्चों को इससे रोकना चाहिए।

शिक्षा का तरीका

अल्लाह के रसूल सल्ल0 से इस बारे में हमें निम्नलिखित मार्गदर्शन मिलता है–

1. पाठ का उद्देश्य विद्यार्थी और शिक्षक दोंनो पर पूर्णतः स्पष्ट हो। नबी सल्ल0 जो कुछ बताना और सिखाना चाहते थे उसका मूल उद्देश्य आपके सामने तो स्पष्ट होता ही था सीखने वालों को भी अच्छी तरह मालूम होता था कि वे क्या और किस लिए सीखने जा रहे हैं। शिक्षक को भी इसका ध्यान रखना चाहिए ताकि पढ़ाते समय पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले पूरे ध्यान से उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहें और इधर उधर भटकने से बच जाएं।

2. विद्यार्थी में जिज्ञासा उभार कर पाठ प्रस्तुत किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्ल0 कोई प्रश्न पूछ कर या कोई अधूरी बात कह कर लोगों की जिज्ञासा उभार देते थे और पूरा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लेते तब कोई बात प्रस्तुत करते।

जैसे– नबी सल्ल0 ने पूछा ''सबसे बड़ा उदार कौन है?'' फिर जवाब दिया। इसी तरह मिम्बर पर चढ़ते हुए तीन बार कहा– वह मारा गया, वह मारा गया, वह मारा गया।'' फिर पूरी बात बताई।

सच्चाई यह है कि जब

तक विद्यार्थी पूरी तरह सजग न हों, पाठ की ओर ध्यान नहीं दे सकते और विद्यार्थियों के ध्यान दिये बिना शिक्षक के प्रयास सफल नहीं हो सकते हैं।

3. सब कुछ एक साथ बता देने के बजाए, पाठ को उचित ढंग से विभाजित कर लिया जाए। फिर छात्रों को तैयार करके एवं भाग प्रस्तुत किया जाए और इस भाग के समझ में आ जाने के बाद दूसरा भाग प्रस्तुत किया जाए। एक हदीस में इस बारे में पूरा मार्गदर्शन मिलता है। इस तरह पूरा पाठ आसानी से समझ में आ जाता है।

4. विद्यार्थी के लिए यथा संभव सुविधाएं उपलब्ध करायें, उन्हें कठिनाई में न डालें कि वह घबरा कर कंधा विदा हो जाए। ''आसानियां पहुँचाओ, कठिनाई में न डालो।'' क्रमशः सरल से कठिन की ओर बढ़े, ताकि बच्चे उन पर क़ाबू पाते जाएं।

5. शिक्षक पढ़ाते हुए देखता रहे कि ध्यान भटकने या उकताहट न पैदा होने पाये। रसूल सल्ल0 इसका बहुत ध्यान रखते थे।

6. पठन–पाठन के लिए इनमें से कोई तरीक़ा अवसर के अनुसार अपनाया जा सकता है–

1. बातचीत का तरीक़ा
2. प्रश्नोत्तर का तरीक़ा
3. वर्णन का तरीक़ा
4. संभाषण का तरीक़ा

1. बातचीत का तरीक़ा–

अल्लाह के रसूल सल्ल0 बातों बातों में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचा दिया करते थे। यह तरीक़ा बहुत ही रोचक, सरल, स्वाभाविक और उपयोगी है। विद्यार्थी खुलकर अपना मतलब बयान कर देते हैं। शिक्षक को उनकी कठिनाई और उनके विचार का ठीक– ठीक अनुमान लगाने में सुविधा होती है और उनके सुधार और प्रशिक्षण का अवसर हाथ आता है, लेकिन बातचीत उपयोगी और निर्णायक उसी समय हो सकती है, जब इस विषय में अल्लाह के रसूल सल्ल0 के आदर्श का पूरा– पूरा अनुसरण किया जाए।

बातचीत खुले माहौल में की जाए ताकि हरेक अपना मुद्दा बेझिझक रख सके। अलबत्ता शिष्टाचार को हर हाल में बनाये रखा जाए। पूरे ध्यान और खुले मन से बात सुनी जाए। बात काटी न जाए, एक समय में एक ही व्यक्ति बात करे। मुद्दे से अलग या अनुचित और फ़िज़ूल बात होने लगे तो मुनासिब ढंग से उसका सुधार किया जाए। बातचीत के दौरान शिक्षा प्रशिक्षण के जो स्वाभाविक अवसर हाथ आएं उनका पूरा सदुपयोग किया जाए।

बातचीत में शब्द ठहर ठहर कर बोले जाएं और आवश्यकतानुसार ज़ोर देने के लिए शब्दों को दोहराया जाए। बातचीत में सामने वाले की योग्यता, रुचि और आवश्यकता का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए।

2. प्रश्नोत्तर का तरीक़ा–

बहुत सी बातें अल्लाह के रसूल सल्ल0 इस तरीक़े से भी समझाते कि जो कुछ बताना होता उसे पहले प्रश्न के रूप में रखते और फिर सही उत्तर देते। दूसरों को आज़ादी से पूछने का अवसर देते। प्रश्न अगर विषय से अलग होता तो बाद में अलग से उत्तर देते। यह तरीक़ा बहुत उपयोगी है। इसमें सबसे बड़ी खूबी यह है कि विद्यार्थी का मस्तिष्क प्रश्न का उत्तर खोजने में पूरा ज़ोर लगा देता है या कम से कम पूरे ध्यान और एकाग्रता से उसका उत्तर सुनने पर आमादा हो जाता है।

प्रश्न छोटे हों और स्पष्ट हों, ताकि सामने वाला अच्छी तरह समझ जाए कि उनसे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछने का अंदाज़ ऐसा हो कि हरेक अपने कान खड़े कर ले और उत्तर सुनने पर पूरा ध्यान लगा दे। प्रश्न पूछने के बाद सोचने का अवसर दिया जाए फिर खुले मन से उत्तर सुना जाये। ग़लत उत्तर को सही कर दिया जाए। अगर उत्तर न आए तो स्वयं ही उत्तर देकर पूरी तरह संतुष्ट कर दिया जाए। जिज्ञासा उत्पन्न कर संतुष्टि की व्यवस्था न करना हानिकारक है।

विद्यार्थी को भी प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाए क्योंकि जो अधिक पूछता है वह अधिक सीखता है, लेकिन अनर्गल और व्यर्थ प्रश्न पर झिड़कने के बजाए उसकी अनदेखी कर दी जाए या मुनासिब ढंग से टोक दिया जाए।

3. वर्णन का तरीक़ा–

किसी चीज़ के बारे में कुछ बताना होता या कोई घटना सुनानी होती, तो आप सल्ल0 कभी कभी वर्णन का तरीक़ा अपनाते लेकिन आपके वर्णन में निम्नलिखित विशेषताएं होतीं–

आप सल्ल0 वर्णन को लम्बा नहीं खींचते, बल्कि छोटा रखते, ताकि लोग उकताहट न महसूस करें।।

2. अल्लाह के रसूल सल्ल0 शब्दों से ऐसा दृश्य खींचते कि अनदेखी सच्चाइयां आंखों के सामने नज़र आती महसूस होतीं।

3. बात को अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए आप सल्ल0 मुनासिब उदाहरण और उपमा प्रस्तुत करते। इस तरह हर पहलू आसानी से समझ में आ जाता।

4. आवश्यकतानुसार अल्लाह के रसूल सल्ल0 अपने स्वर में उतार चढ़ाव पैदा करते और जिस शब्द पर ज़ोर देना होता उस पर ज़ोर देते। इससे यह होता कि आप जो कुछ प्रस्तुत करते उसका महत्व और उसकी गहराई पूरी तरह समझ में आ जाती।

नबी सल्ल0 कोई बात केवल शब्दों में बता देने पर ही बस नहीं करते, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उसे करके दिखाते। इस तरह उसका व्यवहारिक रूप भी पूरी तरह समझ में आ जाता।

4. संभाषण का तरीक़ा–

अल्लाह के रसूल सल्ल0 आम तौर पर खुत्बा देते थे। सामूहिक शिक्षा प्रशिक्षण के लिए आप इसी तरीक़े को अपनाते। जब आप संभाषण के लिए खड़े होते तो सभा पर सन्नाटा छा जाता बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित बात कहते, जो बहुत प्रभावकारी होती। आप का अंदाज़ भी बहुत जोशीला होता। आपके शरीर, चेहरे और आंखों से आप के दिल के हाल का पता चलता, अतः श्रोता बहुत प्रभावित होते। संभाषण का तरीक़ा अपनाने में शिक्षक को भी इन गुणों का ध्यान रखना चाहिए–

अल्लाह के रसूल सल्ल0 अपनी बात को अच्छी तरह समझाने के लिए निम्नलिखित तरीक़े अपनाते थे–

करके दिखाते या हाथों और उंगलियों के इशारे से बताते थे। कभी–कभी रेत पर रेखाचित्र बना कर भी समझाते। किसी जानी पहचानी चीज़ से उपमा दे कर समझाते किसी मुनासिब घटना या चुटकुले से मदद लेते। उसके विपरीत से तुलना करके उत्तर स्पष्ट करते। आवश्यकतानुसार बात को दो तीन बार कह कर अच्छी

तर समझा देते।

शिक्षक को भी इन तरीक़ों से अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए।

छात्रों से व्यवहार

छात्रों के साथ भलाई का व्यवहार करने की अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने वसीयत की है। आप का तरीक़ा यह था–

मुस्कराते हुए मिलते, नर्मी से पेश आते। सामने वाले के आत्मसम्मान का हमेशा ख़याल रखते आप सल्ल0 ने कभी किसी की बेइज़्ज़ती नहीं की। उनका दिल रखने के लिए शालीन हास्य से भी काम लेते। बीमार हो तो इयादत के लिए जाते, हाल पूछते दिलासा देते और दुआ करते। उनकी समझ और रुचि का ध्यान रखते। अपनी बातों और उपदेशों को कभी उन पर बोझ नहीं बनने देते। हर एक की बात ध्यान से सुनते। अच्छी बात की सराहना करते। अनुचित बात होती तो टोक देते। कोई अगर अपनी हद से आगे बढ़ता तो बड़े धैर्य से बर्दाश्त करते।

कोई कमी देखते तो बातों–बातों में टोकते या किसी उदाहरण से ध्यान दिलाते। उनके दुख–दर्द में काम आते। ढाडस बंधाते। साधनहीनों की स्वयं भी मदद करते और सम्पन्न सहाबा से भी उनकी मदद करवाते। उनके साथ बहुत अपनापन का व्यवहार करते। सीने से लगाकर दुआएं देते दोनों कंधों पर हाथ रख कर स्नेह से बातें बताते और उपदेश देते। कोई व्यक्ति अगर थोड़ी भी सेवा करता तो शुक्रिया अदा करते और दुआएं देते। सभा में बैठे एक–एक व्यक्ति पर ध्यान देते ताकि किसी को यह न लगे कि उस पर दूसरों की तुलना में कम ध्यान दिया गया। बच्चों के साथ आप सल्ल0 का व्यवहार तो अधिक स्नेह और प्रेम का होता। आप बच्चों को देख कर बहुत खुश होते। उनके सरों पर हाथ फेरते, गोद में उठा लेते। उनकी रुचि की बातें करते। बच्चों को एक पंक्ति में खड़ा करके उनकी दौड़ कराते। रास्ते पर मिलें तो अपनी सवारी पर बिठा लेते। ग़लती करें तो समझा कर माफ़ कर देते।

एक बच्चे को चूमते हुए आप सल्ल0 ने कहा कि ''बच्चे जन्नत का फूल हैं।'' अल्लाह के रसूल सल्ल0 के शिक्षण–प्रशिक्षण के आदर्श तरीक़े और विद्यार्थियों के साथ आपके व्यवहार का परिणाम था कि उनके भीतर स्थान प्राप्ति की असाधारण लगन और उत्कंठा पैदा हुई। आप की हर बात उन्होंने दिल से सुनी और उन पर अमल किया। आप सल्ल0 की बातों और उपदेशों को गिरह में बांध लिया। उन्हें जीवन भर याद रखा और उन्हें दूसरों तक पहुंचाने में तन, मन, धन से लग गये। इस मार्ग में हर तरह का दुख झेला और डटे रहे। हर हाल में सत्य पर जमे रहे। अल्लाह के कलिमे को बुलन्द करने के लिए ख़ून पसीना एक कर दिया। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ। आज भी हालात बदल सकते हैं, शर्त यह है कि शिक्षक अपने अन्दर वे गुण पैदा कर लें।

◆◆◆

ज़फ़रयाब जीलानी का निधन

मशहूर वकील और क़ौम के निःस्वार्थ सेवक आलइण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव, बाबरी मस्जिद ऐक्शन कमेटी के संयोजक, और कई शिक्षण संस्थाओं के संरक्षक का 17 मई, 2023 को एक लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया ''इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन''।

अल्लाह तआला मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए। हम ''सच्चा राही'' के समस्त पाठकों से दुआ की अपील करते हैं।

(इदारा)

कुर्बानी का हुक्म और उसके ज़रूरी मसायल

डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी मरहूम

हर क़ौम के लिए हमने कुर्बानी रखी है ताकि वे उन चौपायों पर अल्लाह का नाम लें जो उन्हें अल्लाह ने दिये हैं और कुर्बानी करें। (सूरः हज–37)

हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि के नज़दीक हर मालदार पर कुर्बानी वाजिब है।

(ख़ुलासतुल फ़तावा 4/309)

अहनाफ़ के नज़दीक हर मुस्लिम मालदार पर कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करना वाजिब है, अगर कोई मालदार आदमी जिस पर कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी के दिनों में जानवर की क़ीमत सदक़ा करदे तो कुर्बानी का वुजूब उससे न ख़त्म होगा, उस पर कुर्बानी वाजिब रहेगी।

(आलमगीरी 5/293)

जक़ात के निसाब के मुक़ाबिले में कुर्बानी के निसाब में थोड़ी तफ़सील है।

जो मुसलमान मर्द या औरत 52.5 तोला चाँदी यानी 612 ग्राम चाँदी पर मिलकियत रखता है या इतनी नक़दी रखता है जिससे 612 ग्राम चाँदी खरीद सके, इमाम आज़म रह0 के नज़दीक उस पर कुर्बानी वाजिब है, यहाँ ज़ेवर पहनने वाली औरतों से बड़ी ग़लती होती है, वह 612 ग्राम चाँदी बल्कि उससे ज़ियादा की मालिक होते हुए कुर्बानी करने में कोताही करती हैं। अगर कोई मुसलमान घर के ज़रूरी सामान और सवारी के अलावा ऐसी चीज़ पर मिलकियत रखता है जिससे 612 ग्राम चाँदी खरीदी जा सके तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। अगर किसान है और उसके यहाँ इतना ग़ल्ला होता है कि जिससे साल भर की ख़ुराक़ ख़रीदी जा सके उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। मुसाफ़िर पर कुर्बानी नहीं, चाहे वह मालदार हो, अलबत्ता अगर कहीं पंद्रह दिन ठहरने का इरादा करे और उसी बीच कुर्बानी के दिन आ जाएं तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसकी इजाज़त के बग़ैर उसकी तरफ़ से उसका क़रीबी रिश्तेदार भी कुर्बानी करदे तो वाजिब अदा न होगा, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है, कुर्बानी के दिनों पर साहिबे निसाब को चाहिए कि वह पहले अपनी वाजिब कुर्बानी करे उसके बाद ही किसी और की तरफ़ से नफ़्ल कुर्बानी करे।

अगर कोई शख़्स मालदार है और उसके कई बेटे और बेटियाँ और बहुवें हैं तो उनमें जो भी 612 ग्राम चाँदी या उसके बराबर रूपये की मिलकियत रखता है, उस पर भी कुर्बानी वाजिब होगी, सिर्फ घर के मालिक की कुर्बानी से उन लोगों के ज़िम्मे से कुर्बानी पूरी न होगी।

कुर्बानी के जानवर की कम से कम उम्रः–

ऊँट–ऊँटनी की उम्र पाँच साल, भैंस भैंसा वग़ैरह की उम्र दो साल, बकरी भेड़ वग़ैरह की उम्र एक साल होनी चाहिए।

कुर्बानी का जानवर सेहतमन्द हो, कोई ऐब न हो, कुर्बानी का वक़्त बक़रीद की नमाज़ के बाद से 12 ज़िलहिज्जा को सूरज डूबने से पहले तक होता है।

कुर्बानी का तरीक़ाः–

मुस्तहब यह है कि अपनी कुर्बानी अपने हाथ से करे और किसी को अपना नायब भी बना

सकता है, कुर्बानी के जानवर को इस तरह गिराये कि जानवर का मुँह किबले की तरफ़ हो और ज़बह करने वाला ज़बह करते वक़्त उसके पीछे इस तरह झुके कि वह भी क़िब्ला रुख़ हो। ज़बह करने से पहले दुआ पढ़े उसके बाद बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अक्बर कह कर ज़बह करे, ज़बह करने के बाद दुआ पढ़े ''अल्लाहुम्मा तक़ब्बलहु, मिन्नी कमा तकब्बल्ता मिन हबीबिका मुहम्मदिन व ख़लीलिका इब्राहीमा अलैहिमिस, सलात वस्सलाम (ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को मेरी तरफ़ से कुबूल कर जैसा कि तू ने अपने हबीब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कुबूल की) और जैसा कि तूने अपने ख़लील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुबूल की। मुस्तहब है कि कुर्बानी का गोश्त एक तिहाई ग़रीबों में तक़सीम करे, एक तिहाई अज़ीज़ों और रिश्तेदारों को पेश करे, और तिहाई अपने घर वालों को खिलाए, अगर कोई शख़्स सारा गोश्त अपने घरवालों को खिला दे तो कोई हर्ज नहीं।

❖❖❖

नअ़त शरीफ

—ख़्वाजा अलताफ हुसैन हाली

वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला
मुरादें गरीबों की बर लाने वाला
मुसीबत में ग़ैरों के काम आने वाला
वो अपने पराए का ग़म खाने वाला
फक़ीरों का मलजा ज़ईफों का मावा
यतीमों का वाली ग़ुलामों का मौला
ख़ताकार से दर गुज़र करने वाला
बद अन्देश के दिल में घर करने वाला
मफ़ासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला
क़बाइल को शीरो शकर करने वाला
उतर कर हिरा से सु ए कौम आया
और एक नुस्ख–ए–कीमिया साथ लाया
मिसे खाम को जिसने कुन्दन बनाया
खरा और खोटा अलग कर दिखाया
अरब जिस पर करनों से था जह्ल छाया
पलट दी बस इक आन में उसकी काया
रहा डर न बेड़े को मौजे बला का
इधर से उधर फिर गया रुख़ हवा का
वह बिजली का कड़का था या सौते हादी
अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी
नई इक लगन सबके दिल में लगा दी
इक आवाज़ में सोती बस्ती जगा दी
पड़ा हर तरफ़ गुल यह पैग़ामे हक़ से
कि गूंज़ उठे दश्त व जबल नामे हक़ से
सबक़ फ़िर शरीअ़त का उनको पढ़ाया
हक़ीकत का गुर उनको इक इक बताया
ज़माने के बिगड़े हुए को बनाया
बहुत दिन के सोते हुओं को जगाया
खुले थे ना जो राज़ अब तक जहां पर
वह दिखला दिये एक परदा उठा कर
कि है ज़ाते वाहिद इबादत के लायक़
ज़बान और दिल कि शहादत के लायक़
उसी के हैं फ़रमां इताअत के लायक़
उसी की है सरकार ख़िदमत के लायक़
लगाओ तो लौ उससे अपनी लगाओ
झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ

जुल्म, जुल्म, जुल्म

इं0 जावेद इक़बाल

जुल्म, जुल्म, जुल्म, हर तरफ जुल्म, व्यक्तिगत जुल्म, सामूहिक जुल्म, सरकारी जुल्म गैर सरकारी जुल्म, धार्मिक जुल्म, अधार्मिक जुल्म। दुनिया आज जुल्म से भर चुकी है। कहीं अमन क़ायम करने के नाम पर बेगुनाह नागरिकों पर बम बरसाए जा रहे हैं, कहीं फिरक़ा और मसलक में अंतर के कारण इबादत गाहों में गोलियां बरसाई जा रही हैं, कहीं राजनैतिक दलों के विरोध के कारण उठा पटक हो रही है, कहीं अपने व्यापार को चमकाने के लिए छोटे कारोबारियों को तबाह किया जा रहा है, कहीं बड़े बड़े उद्योगपति नित नए तरीकों से देश को लूट रहे हैं तो कहीं जनता के प्रतिनिधि ही देश प्रेम की आड़ में अपनी ही मात्रभूमि को लूट कर विदेशों में तिजोरियां भर रहे हैं। कहां तक जिक्र किया जाए जुल्मों का, वर्तमान काल में नये नये जुल्म ईजाद किए जा रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों का ढिंढोरा पीटने वाले, स्वयं को सभ्य समाज का हिस्सा मानने वाले लोग अब औरत को दुनिया में जन्म लेने का अधिकार भी नहीं देना चाहते, वह आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर जन्म से पहले ही उसके भ्रूण को नष्ट कर के गर्व महसूस करते हैं। सारांश यह कि नित नए जुल्म ईजाद हो रहे हैं और हर हाल में अवाम ही पिस रहे हैं।

अब तो खाने पीने, पहनने ओढ़ने और इबादत के तरीकों तक पर पाबंदी लगाने के प्रयास किए जारहे हैं। माब लिंचिंग और जिन्दा जला देना भी अब आम बात हो गई है। इतना ही नहीं, जिसे सोच कर भी रोंगटे खड़े हो जाएं वह काम भी आज कल आम होता जा रहा है। किसी को भी मार कर टुकड़े टुकड़े कर देना, फ्रिज में रख कर छिपा देना, टुकड़ों को इधर उधर फेंक देना अब आम होता जा रहा।

यह तो है मुजरिमों की तस्वीर का एक रुख़ दूसरी ओर इंसाफ पसंदी और रहमदिली के मापदंड भी कितने बदल चुके हैं, आश्चर्य होता है उस समय जब किसी जालिम को उसके जुल्म की सजा सुनाई जाती है और ये तथाकथित इंसाफ पसंद लोग रहम–रहम की सदाएं बुलंद करते हैं, और फिर उसको जेल की सलाखों से छुड़ा कर, हार–फूल पहना कर उसका अभिनंदन करते हैं। ये सब वे इसलिए भी करते हैं कि वे अंदर से डरे हुए हैं, उन्हें डर है कि जब कभी समय का धारा करवट बदलेगा और उनके जुल्म से पर्दा उठेगा तब उन्हें भी सख़्त सजाओं का सामना करना पड़ सकता है, लिहाजा रहम–रहम की सदाएं बुलंद करके और फूल मालाओं से स्वागत करके इंसाफ का मनोबल तोड़ कर उसका गला घोंटना उनका मक़सद होता है।

मुल्जिम के साथ रहम हक़ीक़त में मजलूमो के साथ नाइंसाफी है और जब मजलूमों को इंसाफ नहीं मिलता तो फिर ऊपर वाले को स्वयं इंसाफ की लाठी उठानी पड़ती है। वह ज़्यादा दिन तक अपने मासूम बंदों को जुल्म की चक्की में पिसते हुए नहीं देख सकता। उसकी लाठी में आवाज़ नहीं

होती। उसकी लाठी को कोई रोक नहीं सकता। जब वह चलती है तो सारे आधुनिक उपाय धरे रह जाते हैं। हवाओं के तीव्र झोंकों में, समंदर की लहरों में, धरती के भूचाल में, आग की लपटों में हज़ारों लाखों इंसान लाशों के ढेर में बदल जाते हैं। निःसंदेह उनमें अनेक वह भी होते हैं जो स्वयं जुल्म नहीं करते, मगर जालिमों के साथ हमदर्दी रखते हैं न ही वो जुल्म के खिलाफ़ आवाज उठाते हैं। जुल्म के खिलाफ़ आवाज न उठाना भी जुल्म का एक रूप होता है।

एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के द्वारा इसी ओर इशारा करते हुए फरमाया गया था कि अपने भाई की मदद करो चाहे वह ज़ालिम हो या मज़लूम। सहाबा किराम ने पूछा मजलूम की मदद तो समझ में आती है मगर ज़ालिम की मदद क्योंकर की जायेगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि ज़ालिम की मदद यह है कि उसे जुल्म से रोक दिया जाए।

अतः नितांत आवश्यक है कि इंसाफ पसंद लोगों के द्वारा शीघ्र एकजुट हो कर जुल्म के खिलाफ़ आवाज बुलंद करने की जद्दोजिहद शुरू कर दी जाए और जालिमों के लिए उचित होगा कि वे अपनी चौधराहट को, अपनी नसली बरतरी को, अपने मजहबी जुनून को त्याग कर हक़ और इंसाफ की राहों को स्वीकार करलें, अन्यथा नहीं कहा जा सकता कि कब और कहां सृष्टि के संचालक (ख़ालिक़–ए–क़ायनात) का क्रोध बरस पड़े।

❖❖❖

पृष्ठ .....14... का शेष

उस समय वारिस होते हैं जब मज़बूत वारिस नहीं होता। इस तरह बेटी का बेटा बहन के बेटे से और भाई का बेटा उन दोनों से अधिक हक़दार हैं। अगर अनेक वारिस हों तो सबके बीच बराबर हिस्से बाँटे जाते हैं। यदि मृतक का कोई वारिस नहीं होता तो उसकी छोड़ी हुई सम्पत्ति सरकार के पास चली जाती है। लेकिन लावारिस ब्राह्मण की सम्पत्ति पर सरकार अधिकार नहीं कर सकती है। वह दान कर दी जाती है।

वारिस पर मृतक के यह अधिकार हैं कि उसके मरने के समय से 10 दिन तक प्रतिदिन पका हुआ खाना और पानी का एक मटका खुले आसमान के नीचे एक बरामदे जैसी जगह पर रख दिया जाए कि शायद आत्मा को अभी किसी जगह चैन नहीं हो और वह भूख या प्यास से घर के आस–पास चक्कर लगा रही हो। दसवें दिन मृतक के नाम पर खाना और ठण्डा पानी दान करें और 11वें दिन से एक वर्ष तक एक आदमी के खाने के बराबर खाना और एक दिरहम किसी ब्राह्मण के घर भेजते रहना चाएिह। उसके मरने के बाद वारिस को 16 बार आतिथ्य देना आवश्यक होता है। जिनमें खाना खिलाने के अतिरिक्त खाने वालों को दान भी दिया जाता है। पहला आतिथ्य मृत्यु के 11वें दिन और दूसरा 15वें दिन होता है। फिर हर महीने एक बार दिया जाता हैं। छठवें महीने का खाना बहुत अच्छा होता है। एक आतिथ्य वर्ष के अन्त होने के एक दिन पहले होता है। फिर वर्ष पूरा होने का खाना होता है। इन आतिथ्यों से मृतक के अधिकार अदा हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त वारिस बेटा एक साल तक शोक मनाता है। पत्नी के पास नहीं जाता फिर वर्ष के आरम्भ में एक खाना उसके लिए अवैध हो जाता है।

.....जारी.....

❖❖❖

आपके प्रश्नों के उत्तर

—मुफ़्ती मुहम्मद ज़फर आलम नदवी

प्रश्नः क्या हज के सफर पर जाने के लिए वालिदैन की इजाज़त लेना ज़रूरी है? इजाज़त न होने की सूरत में हज अदा होगा या नही?

उत्तरः आगर वालिदैन बहुत बूढ़े और बीमार हों और खिदमत के मोहताज हों और उनके जाने से उनको तकलीफ़ हो तो ऐसी सूरत में इजाज़त लेना ज़रूरी है बिना इजाज़त हज पर जाना मकरूह है, लेकिन अगर वह सेहतमंद हों और खिदमत के मोहताज न हों तो इजाज़त ज़रूरी नहीं, और हज भी अदा हो जायेगा। लेकिन हज जैसे मुबारक सफ़र पर जाने के लिए वालिदैन की रज़ामंदी हासिल कर लेना बहुत अच्छा है।

(फतावा हिंदिया 1/113)

प्रश्नः अगर किसी के पास इतना पैसा हो कि वह स्वयं हज कर सकता हो लेकिन मजबूरी यह है कि उसके साथ उसके माँ–बाप भी रहते हैं और उनके पास इतनी रक़म नहीं कि एक साथ हज कर सकें, ऐसी सूरत में क्या अपने हज से पहले वालिदैन को हज कराना ज़रूरी है? या स्वयं का अपना हज करना ज़रूरी है?

उत्तरः जिस आदमी पर हज फर्ज हुआ है उसको अपना हज अदा करना ज़रूरी है, पहले वालिदैन को हज कराना ज़रूरी नहीं, अब गुंजाइश हो जाए तो वालिदैन को भी हज करा दें, वालिदैन को हज कराना बहुत बड़ी नेकी का काम है।

(फतावा हिंदिया 1/217)

प्रश्नः अगर कोई आदमी सरकारी खर्च से हज करे तो क्या उसका यह हज, फर्ज हज माना जायेगा या नफ़्ल? जब कि हज करने वाला उस वक़्त सामर्थ्य न रखता था, बाद में अगर मालदार हो जाए तो क्या उसके जिम्मे दोबारा हज फर्ज होगा?

उत्तरः सरकारी खर्च पर हज करने वाले का हज हो जायेगा, और यह फर्ज हज माना जायेगा, सामर्थ्य होने पर दोबारा उस पर हज फर्ज न होगा।

(फतावा हिंदिया 1/217)

प्रश्नः अगर शौहर पर हज फर्ज हो तो क्या बीवी पर हज फर्ज हो जायेगा? और क्या उन दोनों के लिए साथ हज पर जाना ज़रूरी है?

उत्तरः शौहर पर हज फर्ज होने से बीवी पर हज फर्ज नहीं होता। जब बीवी स्वयं मालदार होगी तब उस पर हज फर्ज होगा, दोनों के लिए साथ–साथ हज के सफर पर जाना ज़रूरी नहीं, मगर जब औरत पर हज फर्ज हो जायेगा तो हज के सफ़र पर जाने के लिए उसके साथ महरम का होना ज़रूरी है।

(अल बहरुर्राइक़ 2/313)

प्रश्नः एक आदमी पर हज फर्ज हो चुका है मगर उसकी लड़की शादी के लायक़ हो चुकी है, इस सूरत में पहले हज करे या लड़की की शादी करे? शादी करने की सूरत में हज को टालना पड़ेगा।

उत्तरः जब हज फर्ज हो चुका है तो हज न टाले, बल्कि हज अदा करे, और शादी भी सुन्नत के तरीके पर कर दे, उम्मीद है कि शादी सुन्नत तरीके पर करने की सूरत में हज भी नहीं

टालना पड़ेगा और शादी भी हो जायेगी।

(फतावा हिंदिया 1/217)

प्रश्न: एक शख़्स के वालिद पर हज फर्ज था लेकिन वह ग़फ़लत की वजह से हज अदा नहीं कर सके और दुन्या से चल बसे, इन्होंने कोई वसीयत भी नहीं की है और वफ़ात से क़ब्ल काफ़ी मक़रूज़ भी हो गये थे, क्या उन पर हज फर्ज है, क्या उनकी तरफ़ से हज्जे बदल कराना ज़रूरी है?

उत्तर: जब हज फ़र्ज हो गया था और ग़फ़लत की वजह से हज नहीं किया तो उन पर हज रह गया लेकिन जब उन्होंने उसकी वसीयत नहीं की है, तो उनकी तरफ़ से हज्जे बदल कराना ज़रूरी नहीं, हां अगर वारिस हज्जे बदल करा दें तो मरहूम के जिम्मे से फ़र्ज साक़ित हो जाएगा।

(गुन्यतुन्नासिक–173)

प्रश्न: एक शख़्स के वालिद पर हज फर्ज़ था लेकिन उन्होंने अदा नहीं किया और न ही वसीयत की लेकिन उनके लड़के मालदार हैं और उन पर खुद हज फर्ज है, और वह चाहते हैं कि वालिद मरहूम की तरफ़ से हज करें, सवाल यह है कि पहले वालिद मरहूम की तरफ़ से हज्जे बदल करें या अपना हज फर्ज अदा करें?

उत्तर: जब मरहूम ने वसीयत नहीं की है तो उनकी तरफ से औलाद पर हज फ़र्ज नहीं है, इसलिए पहले अपना हज फ़र्ज अदा करें फिर वुसअत हो तो वालिद मरहूम की तरफ़ से हज्जे बदल करें।

(तातार खानिया–2/564)

प्रश्न: हज्जे बदल में लब्बैक पढ़ते वक्त उनका नाम भी लब्बैक में लेना ज़रूरी है?

उत्तर: तल्बिया यानी लब्बैक कहते वक़्त जिनकी तरफ़ से हज्ज किया जा रहा है उनका नाम लेना ज़रूरी नहीं बल्कि दिल में यह नीयत कर लेना काफ़ी है कि फलां शख़्स की तरफ से यह एहराम बाँधता हूं लेकिन अगर एहराम के वक़्त उनकी तरफ़ से एहराम की नीयत नहीं की और आमाले हज्ज शुरु कर दिये तो हज्जे बदल सही नहीं होगा, इसलिए तल्बिया के साथ नाम लेना अफ़ज़ल है वरना नीयत काफ़ी है।

(गुन्यतुन्नासिक–174)

प्रश्न: क्या हज्जे बदल करने वालों के लिए हज्जे तमत्तो करना दुरुस्त नहीं है?

उत्तर: बाज़ उलमा ने हज्जे बदल में तमत्तो को जाइज़ क़रार दिया है लेकिन फुक़ाहा के यहां जो सराहत मिलती है, इसमें राजेह यही है कि हज्जे बदल में तमत्तो न किया जाए।

(रद्दुल मुहतार–4/17)

प्रश्न: हज्जे बदल के बाद इख़राजाते हज में से अगर रक़म बच जाये, तो क्या वह रक़म हज कराने वाले को वापस कर देना ज़रूरी है या हज करने वाला खुद रख सकता है?

उत्तर: अगर हज कराने वाले ने इख़राजात से ज़ाइद रक़म दी है और वह बच रही है तो इसकी वापसी ज़रूरी है, हाँ अगर हज कराने वाले ने यह सराहत कर दी थी कि मैंने यह सारी रक़में तुमको दे दीं, अब तुम इसमें जितना चाहो खर्च करो और बच जाए तो वह तुम्हारी है तो ऐसी सूरत में बची हुई रक़म रख लेने की गुंजाइश है।

(अल बहरुर्राइक़–3/114)

❖❖❖

उपकार

नजमुस्साक़िब अब्बासी नदवी

हज़रत जुनैद बग़दादी के बाल बढ़ गये थे। वह शहर की गलियों में हज्जाम ढूँढते फिर रहे थे कि ऐसी जगह पहुँचे जहाँ एक हज्जाम के इर्द गिर्द कुछ लोग इकट्ठा थे। उनमें से एक हज्जाम से बाल बनवा रहा था। हज्जाम फुर्तीला और माहिर लग रहा था।

इस्लाम सफाई सुथराई वाला मज़हब है, इसीलिए कहा गया है कि सफ़ाई आधा ईमान है, क्योंकि बिना सफाई और पवित्रता के कोई इबादत कुबूल नहीं होती। उसी सन्दर्भ में है कि जब कोई बाल रखे तो ज़रूरत पड़ने पर कटवाये। सर पर तेल रखे कंघी करे और यहां तक शेम्पू साबुन करे। इस्लाम एक प्राकृतिक धर्म हैं, वह एक सीमा तक रूप सौंदर्य देख भाल की अनुमति देता है।

जुनैद बग़दादी इस उधेड़बुन में थे कि हज्जाम तो मिल गया मगर जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। अब नाई से कैसे कहूँ कि जेब खाली है। इसी सोच विचार में वह हज्जाम को तक रहे थे। हज्जाम ने पूछ ही लिया कि क्या मसला है? जुनैद ने कहा भाई! अल्लाह की राह में मेरे बाल बना दो। हज्जाम ने जो कि एक आदमी का बाल बना रहा था, अपने हाथ रोक लिये बल्कि आँखों में आँसू छलक आये और कहने लगा कि ये तो मेरे लिए खुशी और सौभाग्य की बात है।

हज्जाम ने उस व्यक्ति से जिसका बाल बना रहा था, से कहा कि मुझे थोड़ा सा सयम दो, थोड़ी देर में आपके पूरे बाल बना दूँगा। उस आदमी ने कहा, ये क्या बात हुई यार! कोई मुफ़्त में थोड़े ही बाल बना रहे हो। हज्जाम ने कहा, भई! मैं उजरत पर ही बना रहा हूँ, लेकिन बात यहाँ अल्लाह के वास्ते की आन पड़ी है। तुम्हारा नाराज़ होना लाज़िमी है, लेकिन भाई थोड़ा सब्र करो। जब तक मैं उनका काम पूरा न कर लूँ मेरे लिए कोई दूसरा काम जायज़ नहीं समझता।

नाई ने जुनैद बग़दादी का सर चूमा और झटपट उनके बाल मूँड दिये। इधर जुनैद उसके उपकार से दबे जा रहे थे कि उसने एक और उपकार का प्रदर्शन किया। हुआ यूं कि जब नाई ने बाल मूँड लिये तो नाई ने अपनी जेब से पैसों की एक थैली निकाली, जिसमें कुछ सिक्के थे, उसे जुनैद को दे दिया।

अब जुनैद एहसान के इस नये पहाड़ तले और भी दब गये। कभी कभी कुछ ऐसी खिदमत हो जाती है जिसका कोई मेहनताना अदा नहीं कर पाता और उस सेवा का मोल पालनहार ही दे पाता है। जुनैद ने भी मन में तय कर लिया था कि इस ग़रीब ने मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किया तो मैं भी उसके एहसान को जल्द ही चुका दूँगा।

इस घटना को कुछ ही दिन गुज़रे थे कि हज़रत जुनैद की सेवा में बसरा का एक काफिला जो उनका शुभचिंतक और प्रसंशक था। उन लोगों ने उनको अशरफियों से भरी एक थैली उपहार स्वरूप भेंट की। हज़रत जुनैद को अपने मन से किया वादा याद था, तुरन्त उस थैली को ले कर हज्जाम की दुकान पर जा पहुँचे और अशरफियों की वह थैली उसे

शेष पृष्ठ ....37..पर

–पिछले अंक से आगे

उर्दू के आधार-स्तंभ

डॉ0 मुहम्मद अहमद

3. मीर 'हसन' (लगभग 1736 –86):–

मीर गुलाम हसन जो मीर 'हसन' के नाम से अधिक विख्यात हैं, दिल्ली में उत्पन्न हुए थे, तथा कवि मीर गुलाम हसन 'ज़हक' के सुपुत्र थे। उन्होंने बचपन में ही अपने पिता से काव्यकला सीखी थी तथा कालान्तर में अपनी रचनाओं का संशोधन, ख़्वाजा मीर दर्द से कराया। दिल्ली में व्याप्त अशांति के कारण उन्हें 12–13 वर्ष की आयु में ही घर छोड़ना पड़ा। वे अपने पिता के साथ फ़ैज़ाबाद चले गये, जो उस समय अवध की राजधानी थी। उन्होंने नवाब आसिफुद्दौला के मामा नवाब सालारजंग के यहां नौकरी कर ली। धीरे–धीरे उन्हें फ़ैज़ाबाद से अत्यधिक लगाव हो गया। जब शासन–केन्द्र लखनऊ स्थानांतरित हुआ तो वे भी वहां चले गये तथा वहीं स्थायी रूप से निवास करने लगे। लखनऊ में ही 1786 ई0 में उनकी मृत्यु हो गयी।

मीर हसन को उर्दू साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त है, वे अपनी भाषा की मधुरता और सरलता के लिए विख्यात हैं। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं–

(1) ग़ज़लों का दीवान

(2) ग्यारह मसनवियां, जिनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं–

(अ) सहरुल बयान अथवा 'किस्सा बेनज़ीर व बद्र–मुनीर' जो प्रायः 'मसनवी–ए–मीर हसन' भी कहलाती है, यह उर्दू की सर्वाधिक विख्यात और जनप्रिय गाथा है जिसने इसके लेखक को अमर बना दिया है। इसमें स्त्रियों के परिधानों, विवाहोत्सवों एवं अन्य प्रथाओं का बड़ा ही रोचक वर्णन है।

(ब) 'गुलज़ार–ए–इरम' जिसमें लखनऊ पर व्यंग्य और फ़ैज़ाबाद की प्रशंसा की गयी है। इसमें भी मुसलमानों में प्रचलित रीति–रिवाज़ों, स्त्रीय–परिधानों तथा उत्सवों का वर्णन है।

(3) क़सीदे, जिनमें से अब केवल सात ही प्राप्त हैं।

(4) फ़ारसी में उर्दू कवियों का तज़किरा।

4. 'मुसहफ़ी' (1750– 1824):–

शैख़ गुलाम हमदानी 'मुसहफ़ी' अमरोहा के कुलीनवंशीय शैख़ वली मुहम्मद के पुत्र थे। उनका जन्म 1750 ई0 में हुआ था। युवा होने पर वे अरबी और फ़ारसी में शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से दिल्ली आये। उन्होंने उर्दू शायरी में गहरी रुचि प्रदर्शित की और शीघ्र ही शायर के रूप में प्रसिद्ध हो गये। वे अपने घर पर मुशायरे आयोजित करते थे, जिनमें दिल्ली के प्रायः सभी उच्चकोटि के शायर सम्मिलित हुआ करते थे।

जीविका की खोज में मुसहफ़ी को दिल्ली त्यागनी पड़ी तथा वे आंवला, टांडा (रामपुर के पास) एवं लखनऊ जैसे स्थानों पर भ्रमण करते रहे। लखनऊ में एक वर्ष रहने के पश्चात पुनः दिल्ली आ गये जहां एक लम्बी अवधि तक रहे। इस अवधि में उन्होंने जीविकोपार्जन के लिए व्यापार भी किया। अन्तोगत्वा वे लखनऊ चले गये और मिर्ज़ा सुलैमान शिकोह के यहां नौकरी कर ली तथा स्थायी रूप से वहीं बस गये। अत्यंत ग़रीबी तथा निराशा की स्थिति में सन् 1824 ई0 में मुसहफ़ी की मृत्यु हो गयी।

मुसहफ़ी का विशेष रूप से उर्दू के आठ दीवान तथा उर्दू

कवियों का तजकिरा विख्यात है, जिसमें कम से कम उनके समय तक के लगभग 350 कवियों का वर्णन है।

5. 'इन्शा' (लगभग 1756–1817):–

सैय्यद इन्शा अल्लाह ख़ाँ 'इंशा' दिल्ली के कवि तथा शाही चिकित्सक हकीम माशा अल्लाह ख़ाँ 'मसदर' के पुत्र थे। मुग़ल साम्राज्य के विघटन के कारण माशा अल्लाह कुछ समय के लिए मुर्शिदाबाद के दरबार में चले गये। वहीं पर लगभग 1756 ई0 में इंशा का जन्म हुआ। प्रारंभिक अवस्था में उनके पिता उनकी शायरी का संशोधन किया करते थे। 1886 में वे दिल्ली आ गये तथा मीर सोज के शागिर्द बन गये। शाहआलम ने, जो स्वयं भी एक शायर और शायरों के संरक्षक थे, इंशा को अपने दरबार में आमंत्रित किया। परन्तु इंशा ने दिल्ली दरबार से असंतुष्ट हो कर लखनऊ में निवास करने का निश्चय किया। लखनऊ में नवाब के पुत्र मिर्ज़ा सुलैमान शिकोह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। वे नवाब सआदत अली खाँ के संपर्क में भी आये, जिनसे वे केवल मित्रता करने में ही सफल नहीं हुए वरन गहरी घनिष्टता भी स्थापित कर ली। इंशा के प्रमुख संग्रह अथवा ''कुल्लियात'' में निम्नलिखित काव्य रूप हैं:–

(1) उर्दू ग़ज़लों का दीवान (2) रेख़ती ग़ज़लें (3) उर्दू और फ़ारसी में क़सीदे (4) फ़ारसी ग़ज़लों का दीवान (5) 'शीर–बिरंज' नामक फ़ारसी मसनवी (6) एक फ़ारसी मसनवी जिसकी रचना बिन्दु रहित अक्षरों से की गयी है। (7) फ़ारसी भाषा में रचित 'शिकारनामा'' जिसमें नवाब सआदत अली खाँ के शिकार का वर्णन है (8) विभिन्न वस्तुओं तथा व्यक्तियों (मुसहफ़ी सहित) के ऊपर व्यंग्यात्मक तथा निन्दात्मक कविताएं। (9) 'शिकायत–ए–ज़माना'। (10) उर्दू में कतिपय मसनवियां आदि।

इंशा की उल्लेखनीय रचनाओं में ठेठ हिन्दी में रचित एक गद्य कथा 'उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी, तथा फ़ारसी में उर्दू व्याकरण एवं छन्द शास्त्र पर रचित एक महत्वपूर्ण कृति 'दरिया–ए–लताफ़त' है जिसे उन्होंने अपने मित्र मिर्ज़ा क़तील के सहयोग से लिखा था।

6. 'जुरअत' (मृत्यु–1810):–

शैख़ क़लन्द बख़्श 'जुरअत' दिल्ली के हाफ़िज़ अमान के पुत्र थे। उनका जन्म दिल्ली में और लालन–पालन फ़ैज़ाबाद में हुआ था। सर्वप्रथम उन्होंने बरेली के नवाब मुहब्बत ख़ाँ के यहां नौकरी की। तत्पश्चात 1800 ई0 में लखनऊ चले गये तथा मिर्ज़ा सुलैमान शिकोह की संरक्षता प्राप्त कर ली। सन् 1810 मृत्यु पर्यन्त वे लखनऊ में ही रहे।

जुरअत दिल्ली के ज़फ़र अली ख़ाँ के शागिर्द थे। उनके द्वारा रचित उर्दू में ग़ज़लों का संग्रह तथा दो मसनवियां उपलब्ध हैं। एक मसनवी में बरसात पर व्यंग्य किया गया है तथा द्वितीय मसनवी– 'हुस्न व इश्क़' में एक प्रेम–प्रसंग का वर्णन है।

7. 'रंगीन' (लगभग 1755–1835):–

सआदत यार ख़ाँ रंगीन 1755 ई0 में सरहिन्द में पैदा हुए थे। वे तहमास्प बेग ख़ाँ तूरानी के पुत्र थे, जो नादिरशाह के साथ भारत आये थे तथा कुछ दिन लाहौर में रहने के पश्चात स्थायी रूप से दिल्ली में बस गये। वहां उन्हें हफ़्त–हज़ारी की पदवी तथा मुहकिमउद्दौला एतक़ाद–ए–जंगबहादुर की उपाधि प्रदान की गयी।

रंगीन चौदह–पन्द्रह वर्ष की आयु में ही काव्य रचना करने लग गये थे। वे शाह हातिम के शागिर्द बनना चाहते

थे, परन्तु मीर ने उनकी प्रार्थना यह कह कर अस्वीकार कर दी कि तुम्हारे लिए शारीरिक व्यायाम व घुड़सवारी अधिक उपयुक्त हैं।

रंगीन एक सिद्धहस्त लेखक थे। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं:–

(1) नौरत्न–ए–रंगीन जिसमें रेख़्ती के एक दीवान सहित चार दीवान हैं।

(2) मजमूआ–ए–रंगीन।

(3) मजालिस–ए–रंगीन (फ़ारसी में)।

(4) इम्तिहान–ए–रंगीन।

(5) अख़बार–ए–रंगीन, जिसमें उस काल पर प्रकाश डालने वाली 93 कथाएं हैं।

(6) ईजद–ए–रंगीन जिसमें कथाएं एवं चुटकुले हैं।

(7) अजायब व ग़रायब–ए–रंगीन (8) शहर–आशोब,

(9) दावत–ए–रंगीन

(10) हिकायत–ए–रंगीन,

(11) फ़रस नामा, जिसमें घोड़ों की पहचान तथ उनके रोगों की चिकित्सा आदि का वर्णन है।

इनके अतिरिक्त भी अन्यान्य रचनाएं हैं।

8. 'जान साहब' (1819–1882):–

मीर यार अली ख़ाँ, जिनका कवि नाम जान साहब था, मीर अम्मान के पुत्र थे। उनका जन्म 1819 ई0 में फ़र्रुख़ाबाद में हुआ था। छोटी अवस्था में ही वे लखनऊ चले गये तथा नवाब आशोर अली ख़ाँ के शागिर्द बन गये। जान साहब की रचनाओं में रेख़्ती कविता अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गयी थी।

आर्थिक संकट की अवस्था में जान साहब जीविकोपार्जन निमित भोपाल और दिल्ली भी गये परन्तु उनकी कोशिश नाकाम हो गयी। उनके जीवन का अंतिम समय रामपुर में व्यतीत हुआ, जहां उनकी मृत्यु 1882 ई0 में 63 वर्ष की आयु में हुई। उन्होंने 'दीवान–ए–जान' नामक एक दीवान की रचना की है।

9. 'नज़ीर' अकबराबादी (1735–1830):–

शैख़ वली मुहम्मद का जन्म 1735 ई0 में दिल्ली में हुआ था। वे सैयद मुहम्मद फ़ारूक़ के पुत्र थे, जिनके बारह बच्चों में एक मात्र वही जीवित रहे थे। अहमदशाह अब्दाली के आक्रमण के समय नज़ीर आगरा चले गये तथा ताजमहल के निकट ताजगंज में रहने लगे।

नज़ीर ने फ़ारसी का गहन अध्ययन किया था, तथा वे अरबी भी जानते थे।

नज़ीर अकबराबादी बहुमुखी प्रतिभा के सिद्धहस्त लेखक थे। शायद ही कोई ऐसा विषय हो जो शायरी में उनकी दृष्टि से ओझल रह गया हो। समकालीन कवियों में वे सौदा और मीर से छोटे तथा इंशा, जुरअत और नासिख़ से बड़े थे। कोई भी ततकालीन कवि विषय–बाहुल्य तथा शब्द चयन में उनकी प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकता। सत्य तो यह है कि जो विशेषताएं पृथक–पृथक रूप से विभिन्न कवियों में पायी जाती हैं, वे सभी सम्मिलित रूप से उनमें विद्यमान थीं। शब्द चयन में उनकी तुलना टेनीसन से की जाती है। उस काल के सभी उर्दू कवियों में केवल वे ही शेक्सपीयर के सर्वाधिक निकट प्रतीत होते हैं। वास्तव में नज़ीर 'बेनज़ीर' (अनुपमेय) हैं, या उनकी तुलना केवल उनसे ही की जा सकती है।

नज़ीर ने जो कुछ लिखा है, वह सब आज उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी उसे सुरक्षित रखने की चिंता नहीं की। विश्वास किया जाता है कि उन्होंने दो लाख शेअरों की रचना की थी, परन्तु उनमें से केवल छह हज़ार उपलब्ध हैं?

शेष पृष्ठ ....37..पर

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का आख़िरी हज सीरते नबवी की रोशनी में

इदारा

जब मक्के की सरज़मीन शिर्क की रीति रिवाज़ों से पाक साफ़ हो गई तो उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्ल0 ने हज के फ़र्ज़ की अदाएगी का इरादा फ़रमाया– अगरचि आप सल्ल0 ने हिजरत से पहले इब्राहीमी तरीक़े पर कई हज फ़रमाए लेकिन हज की फ़रज़ियत के बाद यह पहला और आख़िरी हज था, यह न केवल एक फ़र्ज की अदाएगी थी बल्कि उम्मत को यह बात बतानी थी कि इस फ़र्ज़ की अदाएगी किस तरह और किस शान से की जानी चाहिए, यही इस हज की विशेषता थी कि इसमें शुरु से आख़िर तक केवल तौहीद ही नज़र आती थी, अल्लाह की यकताई और बड़ाई कुफ़्र, शिर्क के सारे चिन्ह मिट चुके थे। हज की फ़रज़ियत सन् 9 हिजरी में हुई, उस साल आप सल्ल0 ने हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु की इमारत में 300 लोगों पर आधारित एक काफ़िला रवाना फ़रमाया जिसने इस फ़र्ज़ को अदा किया, अगले साल सन् 10 हिजरी में आप सल्ल0 ने स्वयं हज करने का इरादा फ़रमाया और मदीना मुनव्वरा के चारों ओर एलान कर दिया, इस ख़बर के सुनते ही हर तरफ़ से सहाबा किराम रज़ि0 की आमद शुरु हो गई, इन्सानों के जन समूह, मर्दों, औरतों, बच्चों के क़ाफ़िले दीवाना वार, मदीना मुनव्वरा की ओर चले आ रहे थे, इन्सानों का बेपनाह हुजूम था जो अपनी मंज़िले शौक़ पर पहुँच रहा था, सबके दिल ख़ुशियों से बाग़–बाग़ हो रहे थे, आज उन्हें अपनी ज़िन्दगी का सबसे बड़ा ख़ुशियों का दिन मिल रहा था, ज़ीक़ादा की 25 तारीख़ थी, और सनीचर का दिन था। आप सल्ल0 अपने सहाबा के साथ जिनकी संख्या असंख्य थी। बाद जुहर मक्का के लिए रवाना हुए और रास्ते में अन्य दूसरे क़ाफ़िले नबी सल्ल0 के साथ शामिल होते रहे, ज़िलहिज्जा की 9 तारीख़ को अरफ़ात के मैदान में यह संख्या एक लाख से कहीं ज़्यादा थी।

अरफ़ात के मैदान में इन्सानों का ठाठें मारता यह समुद्र, एहराम की दो सफ़ेद चादरों में नज़र आ रहा था, आप सल्ल0 अपने परवानों के हुजूम में ऐसे नुमायां थे, जैसे चौधवीं का चाँद सितारों के झुरमुट में, यह मन्ज़र न सिर्फ़ देखने के लाएक़, बल्कि क़ाबिले रश्क था।

अरफ़ात के इस मैदान में जहां आप सल्ल0, बीच मैदान में अपनी ऊँटनी ''क़स्वा'' पर सवार थे, आप सल्ल0 ने एक बहुत ही आदर्श और प्रभाव पूर्ण ख़ुतबा दिया जिसके शब्दों में एक हरारत थी एक ख़लिश थी, एक साज़ था और एक दर्द, आप सल्ल0 ने ख़ुतबे के आख़िर में इशारा करते हुए इरशाद फ़रमाया–

शायद इस साल के बाद अगले साल मैं तुमसे न मिल सकूँ, मैं तुम्हें बहुत बुन्यादी और मज़बूत चीज़ें दे कर जा रहा हूँ। किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह, अगर तुम पूरी मज़बूती के साथ इनको पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह न होगे।

अल्लाह तआला क़यामत के दिन तुमसे मेरे बारे में पूछेंगे, तुम मुझे बताओ क्या जवाब दोगे?

पूरे मजमे ने एक ज़बान हो कर कहाः–

''हम गवाही देंगे कि आप सल्ल0 ने हम तक अल्लाह का प्याम पहुँचा दिया, आप सल्ल0 ने अल्लाह की अमानत अदा फ़रमा दी, और आप सल्ल0 ने अपनी उम्मत के साथ बेहतरीन सुलूक़ फ़रमाया''।

आप सल्ल0 ने यह सुन कर अपनी शहादत की उंगली उठाई और आसमान की तरफ़ इशारा करते हुए फ़रमायाः–

ऐ अल्लाह आप गवाह रहें, ऐ अल्लाह आप गवाह रहें, ऐ अल्लाह आप गवाह रहें।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी तक़रीर पूरी की थी, कि अज़ान की ''सदा'' गूँज़ी और हवा में फैल गई, यह ज़ुहर की अज़ान थी, और हज़रत बिलाल रज़ि0 की आवाज़ थी। आप सल्ल0 ने ज़ुहर और अस्र की नमाज़ें एक साथ अदा फ़रमाईं, नमाज़ से फ़ारिग हो कर आप सल्ल0 दुआओं में मशगूल रहे, आप सल्ल0 ने दोनों हाथ सीने तक उठा रखे थे और फ़रमा रहे थे–

ऐ अल्लाह आप मेरी आवाज़ को सुनते हैं और मेरे मुक़ाम को देखते हैं आप मेरे खुले और छुपे को जानते हैं और मेरी कोई भी बात आपसे पोशीदा नहीं है, दुखी हूँ फरयादी हूँ, पनाह का तलबगार हूँ मैं आपके सामने परेशान और डरा हुआ हूँ, मैं आपके सामने अपने गुनाहों का इक़रार और एतिराफ़ करता हूँ, और सवाल करता हूँ जैसे कोई बे बस और बेसहारा सवाल किया करता है और आपके सामने गिड़गिड़ाता हूँ, जैसा कि कोई ज़लील व ख़ुवार गिड़गिड़ाया करता है। मैं आपकी मदद चाहता हूँ किसी डरे हुए मुसीबत के मारे इंसान की तरह जिसकी गरदन आपके सामने झुकी हुई है और उसकी आँखों से टूट टूट कर आँसू गिर रहे हों, वह अपने जिस्म व जान से आपके सामने अपनी आजिजी और बेचारगी ज़ाहिर कर रहा हो और अपनी नाक आपके लिए ज़मीन पर रगड़ रहा हो– ऐ अल्लाह आप मुझे इस दुआ से महरूम न फ़रमाएं और मेरे हक़ में रहीम और मेहरबान हो जाऐं, आप उनमें सबसे बेहतर हैं जिनसे सवाल किया जाता है और आप देने वालों में सबसे अच्छे हैं।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दुआवों में व्यस्त रहे, इसी बीच में आयत शरीफा ''अलयौमअकमलतु लकुम दीनकुम.....)'' नाज़िल हुई जिसका अनुवाद हैः–

''आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दिया और तुम्हारे लिए दीने इस्लाम को पसन्द कर लिया''।

जब यह आयत शरीफ़ा नाज़िल हुई तो सब खुशियों से मस्त हो गये जैसे ज़िन्दगी की सारी ख़ुशियाँ उनको मिल गईं हों और जैसे दुनिया की सारी मसर्रतें उनके दामन में सिमट आई हों, एक दूसरे का स्वागत करते और मुबारकबाद पेश करते। मुस्कुराहट जैसे उनके होटों से छलकती और फिर पूरे चेहरे पर फैल जाती– मगर हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि0 के चेहरे पर फ़िक्र और उदासी थी, वह समझ रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्ल0 सफ़रे आख़िरत पर जाने वाले हैं।

हज के उन्हीं दिनों में नबी करीम सल्ल0 ने मिना के मुक़ाम पर एक ख़ुतबा दिया जिसमें फ़रमायाः– लोगो! तुम जानते हो यह कौन सा महीना, कौन सा दिन और कौन सा शहर है?

सहाब–ए–किराम रज़ि0 ने जवाब में अर्ज़ किया ''यह महीना, और आज का यह दिन और यह शहर तीनों ही इज़्ज़त वाले हैं''।

फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

तुम्हारे जान व माल और तुम्हारी इज़्ज़तें क़यामत तक इसी तरह इज़्ज़त के साथ रहेंगी, जिस तरह कि यह महीना और आज का यह दिन और यह शहर है जिसमें किसी की बेइज़्ज़ती नहीं की जाती और तीन मरतबा फरमाया किसी पर ज़ुल्म न करना, इसके बाद फरमायाः शैतान मायूस और ना उम्मीद हो चुका है कि अब इस शहर में उसकी इबादत की जाएगी, इसलिए अब वह तुम्हारे अन्दर रुकावट डालने

की कोशिश करेगा, इसलिए अपने मुआमलात में उसको क़रीब आने का मौक़ा मत दो फिर फ़रमाया बिना इजाज़त किसी की चीज़ मत इस्तेमाल करो अगर ऐसा किया गया तो यह ज़ुल्म की बात होगी।

आप सल्ल0 ने मर्दों और उनकी बीवियों को एक दूसरे के साथ अच्छा सुलूक़ और अच्छे ढंग से पेश आने की तालीम दी और आख़िर में अपनी तक़रीर ख़ात्म करते हुए हुक्म फ़रमायाः—

ख़बरदार! मैंने अल्लाह का पैग़ाम पहुँचा दिया, ख़बरदार मैंने अल्लाह का पैग़ाम पहुँचा दिया, अब जो लोग मौजूद हैं वह उन लोगों तक मेरा पैग़ाम पहुँचा दें जो मौजूद नहीं हैं, इन सुनने वालों से ज़्यादा वह ख़ुशनसीब हो सकते हैं।

हज्जतुलवदा आख़िरी हज से वापसी के बाद आप सल्ल0 ने सफ़रे आख़िरत की तैयारी शुरु फ़रमा दी और अक्सर अल्लाह की तस्वीह तहमीद तौबा, इस्तग़फ़ार में मशगूल रहते, आप सल्ल0 ने हज के दिनों में मिना के अन्दर 63 ऊँट अपने मुबारक हाथों से ज़बह फ़रमाए थे, जितने ऊँट आप सल्ल0 ने ज़बह फ़रमाए थे यही तादाद आप सल्ल0 की उम्र शरीफ़ की है, इस तादाद के बाद आप सल्ल0 रुक गये और हज़रत अली रज़ि0 को हुक्म दिया कि बाक़ी ऊँट वह ज़बह करें।

❖❖❖

पृष्ठ .....31... का शेष

भेंट की। हज्जाम ने अचरज से पूछा कि इसमें क्या है? जुनैद ने कहा, अशरफियाँ। फिर जुनैद कहने लगे कि तुमने जो मेरे साथ उपकार किया तो मैंने उसी समय सोच लिया था कि मेरे पास जो भी पहली रक़म आएगी उसे तुम्हें भेंट करूँगा।

हज्जाम ने हज़रत जुनैद की बातें सुनी तो हत्थे से उखड़ गया और कहने लगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती भला कोई अल्लाह के लिए काम करने के बदले मुआवजा और मेहनताना लेता है? लो पकड़ो ये थैली, मुझे नहीं चाहिए कुछ !!

पहले के लोग कैसे कैसे थे और आज कैसे कैसे लोग हैं। पहले हर वर्ग में निष्ठा, त्याग और निःस्वार्थता का बोल बाला था, आज इसमें भारी कमी देखने को मिलती है बल्कि कुछ जगह अच्छाइयों का अकाल पड़ता दिखाई देता है। आज ज़रूरत है कि नैतिक मूल्यों पर कार्य किये जाएं और लोगों को नैतिकता का पाठ पढाया जाए।

❖❖❖

पृष्ठ .....34... का शेष

10. 'नासिख़' (मृत्यु—1838):—

शेख़ इमाम बख़्श नासिख़ लखनऊ के अत्यधिक प्रसिद्ध शायरों में से थे। उनका जन्म फ़ैज़ाबाद में हुआ था। युगानुरूप नासिख़ को शारीरिक व्यायाम में बड़ी रुचि थी तथा उनकी गठन भी अच्छी थी। अपने जीवन काल में नासिख़ को दो बार लखनऊ छोड़ना पड़ा। कहा जाता है कि एक बार नवाब ग़ाज़ीउद्दीन हैदर ने नासिख़ की शायरी की प्रशंसा सुन कर उन्हें अपने दरबार में उपस्थित हो कर क़सीदा सुनाने और मलिकुश्शुअरा (कवि सम्राट) की उपाधि ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की। परन्तु शायर ने नवाब का प्रस्ताव इस टिप्पणी के साथ अस्वीकार कर दिया कि, ''एक नवाब मात्र के द्वारा प्रदान की गयी उपाधि, जिसके पास न तो दिल्ली के सम्राट की मान—प्रतिष्ठा है और न ही 'कंपनी बहादुर' की शक्ति है व्यर्थ से भी बदतर है।'' इस प्रकार, वे नवाब के कोप भोजन बन गये तथा उन्हें लखनऊ छोड़ना पड़ा।

❖❖❖

गउ रक्षा के नाम पर जंगलराज

इदारा

पिछले दिनो हरियाना में दो मुस्लिम नवयुवकों को बड़ी बरबर्ता के साथ पिटाई और ज़िन्दा जला देने की घटना घटी जिसकी वजह से देश में अराजकता का खुल कर प्रदर्शन हुआ, गायों की तस्करी रोकने के नाम पर इस प्रकार की कार्यवाहियों का ख़्याल किसी ऐसे समाज में तो किया जा सकता है जहाँ किसी विधान, क़ानून, पुलिस, व्यवस्था के बजाए गुण्डों, बदमाशों और अलग अलग गैंग का शासन हो, लेकिन एक ऐसे देश में जहां संविधान, क़ानून का शासन हो, पुलिस और प्रबंध समिति मौजूद हो वहां दिन दहाड़े दो नवजवानों का अपहरण, एक निराधार अपराध के बावजूद बड़ी निर्दयता के साथ मारपीट और ज़िन्दा जलाना बहुत बड़ी क्रूरता है और देश के संविधान और क़ानून के साथ खिलवाड़ है। इस निर्मम घटना के शिकार होने वाले दो नवजवानों का संबंध राजस्थान से है जब कि यह घटना राजस्थान की पड़ोसी स्टेट हरियाना में हुई, चूँकि राजस्थान में कांग्रेस और हरयाना में बी0जे0पी0 की सत्ता है इसलिए घटना की तफ़्तीश और क़ानूनी कार्यवाही पर भी राजनीति शुरु हो गई है। फिर भी राजस्थान पुलिस ने इस दोहरे क़त्ल की तफ़्तीश शुरु कर दी है और एक मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया है, मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार इस क़त्ल और बरबर्ता का मास्टर माइण्ड मुलज़िम हरियाना के एक कथित गउ रक्षक गैंग का चीफ़ है और बजरंग दल के जिला गुरुग्राम का अध्यक्ष भी है, वह सोशल मीडिया पर हथयारों के साथ अपने कारनामों को पेश करता रहता है।

हरियाना पुलिस में उसके ख़िलाफ इससे पहले भी विभिन्न वारदातों के सिलसिले में शिकायत दर्ज हैं, लेकिन राजनैतिक संरक्षता और कुछ बड़े लोगों की सहायता के कारण पुलिस ने अब तक उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की, इस घटना का सबसे बुरा और अमानवीय पहलू यह है कि उत्पीड़ित को न्याय दिलाने और अपराधी को सज़ा देने के बजाए हमेशा की तरह नफरत के प्रचारक इस तरह की मानव लज्जित अपराध की सहायता में जम कर खड़े हो गये हैं, समाचार के अनुसार कुछ संगठनों और गुरूपों ने हरियाना के तमाम ज़िला मुख्यालयों पर उन अपराधियों के समर्थन में प्रदर्शन किए, प्रेस कान्फ्रेंस कर के उनके खिलाफ़ क़ानूनी कार्यवाही करने पर हालात को ख़राब करने की धमकियाँ दीं और राजस्थान की अशोक गहलोत हुकूमत पर इलज़ाम लगाया कि वह बदनाम कर रहे हैं। यह किसी इन्सानी समाज के लिए इन्तिहाई शर्म का मुक़ाम है कि वहां क़ातिलों, बलातकारियों और मुलज़िमों का न केवल समर्थन किया जाए बल्कि उनको साहस दिलाया जाए और उन पर की जाने

वाली क़ानूनी कार्यवाहियों के खिलाफ़ धमकियाँ दी जाएं, एक ओर राज्य सरकार क़ानूनी और अधिनियम के प्रभुत्व की बात करती है दूसरी ओर सत्ता के कुछ अहम लोग ऐसे मुजरिमाना ज़हन रखने वाले गैंग से संबंध रखते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं और उनकी पुश्तपनाही करते हैं, इस दो रंगी के साथ कैसे किसी समाज में अम्न और क़ानून की हुक्मरानी क़ायम की जा सकती है? कुछ नफ़रती टोलियों की ओर से यह औचित्य पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि मक़तूल जुनैद पर कुछ मुजरिमाना गतिविधियों के केस दर्ज हैं इस सूरत में भी क़ानून की बालादस्ती और इन्साफ़ उपलब्ध कराना पुलिस और अदालत की ज़िम्मेदारी है, गुण्डा तत्व अपनी मरज़ी के अनुसार किसी मुलज़िम को सज़ा कैसे दे सकते हैं? जंगल राज इसका नहीं तो और किस चीज़ का नाम है? प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले गउ रक्षकों के केस में गुण्डागर्दी करने वालों के ख़िलाफ़ बयान दे चुके हैं लेकिन उनकी पार्टी अपने सत्ताधीन राज्यों में उन गुण्डों की संरक्षता जारी रखे हुए हैं।

जहाँ तक गउ कशी और गाय के गोश्त के इस्तेमाल का सवाल है बी0जे0पी0 ने इस मामले में दोहरा रवय्या इख़्तियार किया हुआ है, यही बी0जे0पी0 जो उ0प्र0, हरियाना और राजस्थान जैसे राज्यों में बीफ़ पर पाबन्दी के नाम पर हर प्रकार की ग़ैर क़ानूनी गतिविधियों की संरक्षता करती रहती है उसी बी0जे0पी0 मेघालय ब्रांच के अध्यक्ष अरनेस्ट माउरी एक इन्टरव्यू में खुल कर स्वीकार करते हैं कि वह बीफ़ प्रयोग करते हैं और यहां इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और पार्टी को भी मेरे खाने पीने पर कोई आपत्ती नहीं है। मज़े की बात यह है कि इस क्षेत्र में 90 प्रतिशत जनसंख्या ईसाइयों की है जिनके वोटों से बी0जे0पी0 ने सरकार बनाई है। गोवा में बी0जे0पी0 की सरकार ने गोश्त की क़िल्लत होने की सूरत में पड़ोसी स्टेट से मंगवाने की बात कर चुकी है। केरला और नार्थईस्ट में बी0जे0पी0 बीफ़ का विषय नज़र अन्दाज़ कर देती है।

इससे मालूम होता है कि बी0जे0पी0 के लिए बीफ़ एक राजनैतिक प्रसंग है, वास्तविक नहीं है बी0जे0पी0 समाज को बाँटने, हिन्दू मुस्लिम के बीच नफ़रत फैलाने के लिए इसका प्रयोग करती है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है और उत्तेजित करती है गउ रक्षा के नाम पर अपराधियों की सहायता करती है ताकि उन घटनाओं से सियासी फ़ाइदा उठाया जा सके, इस अवसर पर सत्ताधारी और जनता दोनों को सोचना चाहिए कि आख़िर इस प्रकार की कार्यप्रणाली से किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं? दुनिया में हमारे देश की क्या छवि बन रही है? इस तरह की कार्यवाहियों और उनके समर्थन से मानव समाज को हिंसक पशुओं और जंगली जानवरों के रूप में बदलना चाहते हैं यदि इस सूरते हाल पर कन्ट्रोल नहीं किया गया तो यह भविष्य में पूरे समाज को तबाह व बरबाद कर देगी।

(तीन दिवसीय ''दअ़वत'' नई दिल्ली से ग्रहीत)

❖❖❖

पेट से जुड़ी समस्याएं दूर करे ईसबगोल

डॉ0 चारू गाबा, लखनऊ

इसबगोल को एक औषधि के रूप में जाना जाता है। यह वास्तव में प्लांटेगो ओवाटा नामक पौधे के बीज की भूसी होती है। इसका उत्पादन प्रमुख रूप से भारत में होता है। कब्ज़ सहित कई स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिनका इलाज करने के लिए प्रमुख रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका सेवन पानी या दूध में मिला कर किया जाता है आइए जानते हैं इसके उपयोग से सेहत को होने वाले फायदों के बारे में–

उचित मात्रा में इसबगोल का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। स्वास्थ्य क्षमता के अनुसार इसकी मात्रा की जानकारी के लिए डॉक्टर से परामर्श ले कर ही इसका सेवन करना चाहिए।

कब्ज़ दूर करेः–

यह एक विशेष प्रकार का फाइबर होता है जो आंतों की कार्य प्रक्रिया को तेज करता है जिससे मल त्याग में आसानी रहती है। कब्ज को दूर करने के लिए इसे अक्सर दही के साथ लिया जाता है।

वजन कम करने में मददगारः–

बढ़ते वजन से परेशान लोगों के लिए भी यह अच्छा विकल्प हो सकता है। यह पेट में जा कर पानी को सोख लेता है और फूलने लगता है, जिससे लगने वाली अतिरिक्त भूख कम हो जाती है। भूख कम लगने के कारण शरीर में सिर्फ इतनी ही कैलोरी जा पाती है, जितनी उसे ज़रूरत है।

हृदय को स्वस्थ रखेः–

कुछ अध्ययनों के अनुसार इसबगोल जैसे घुलनशील फाइबर लेने से कोलेस्ट्राल के स्तर को कम करने में मदद मिलती है। शरीर में बैड कोलेस्ट्राल का स्तर कम रहता है।

पाचन क्रिया दुरुस्त करेः–

इसके सेवन से अपच की समस्या का इलाज किया जा सकता है। यह पेट में मौजूद अतिरिक्त पानी को तीव्रता से सोख लेता है, जिससे पाचन प्रणाली सक्रिय हो जाती है।

डायबीटीज में फायदेमंदः–

नियमित रूप से इसका सेवन करने से शरीर का ग्लाइसेमिक बैलेंस बनाए रखने में मदद मिलती है। टाइप–2 डायबीटीज से ग्रस्त लोगों के लिए इसका सेवन करना काफी लाभदायक हो सकता है।

(आयुष अस्पताल कल्ली पश्चिम, लखनऊ)

❖❖❖

–ःदायें करवट सोनाः–

इस्लाम में दायें करवट सोना सुन्नत है। कुछ सालों पहले के एक शोध में यह बात भी निकल कर आई है कि अस्पतालों में भर्ती जिन रोगियों को लगातार दायें करवट सुलाया गया वे रोगी बहुत जल्द स्वस्थ हो गये और जिनको बोयें करवट सोने दिया गया वे बेचैन ही रहे, उसी शोध से यह बात भी सामने आई की दायें करवट सोना हार्ट और आमाशय के रोगों से बचाता है यहाँ तक कि नीम बेहोशी, और कोमा से भी सुरक्षित रखता है।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

अबू मोहम्मद आमिर नदवी

तुर्किये में राष्ट्रपति चुनावः–

तुर्किये में लोगों ने 14 मई 2023 को नया राष्ट्रपति और नई संसद चुनने के लिए मतदान किया, चुनाव सम्पन्न होने के तुरन्त बाद मतों की गिन्ती भी शुरु हो गई। दुनिया भर के लोगों की नज़रें चुनाव नतीजों पर जमी रहीं, दो दशकों से तुर्की को बलन्दी पर ले जाने वाले, मज़लूम और परेशान हाल लोगों की मसीहाई करने वाले, इस्लाम पसंद, पूरे इस्लामी जगत के दिलों की धड़कन, राष्ट्रपति रजब तैय्यब अर्दोगान को सत्ता से बेदख़ल करने के लिए वामपन्थी पूरा ज़ोर लगाये हुए हैं, हालांकि पहले दौर के नतीज़ों में रजब तैय्यब अर्दोगान 49.49 मतों के साथ 6 दलों वाले विपक्षी गठबंधन ''नेशन अलायंस'' के अपने प्रतिद्वन्दी क्लिक डरोग्लू से काफी आगे हैं और बढ़त बनाये हुए हैं उनके प्रतिद्वन्दी 44.79 फीसद वोटों के साथ दूसरे नम्बर पर हैं। तुर्किये के क़ानून के मुताबिक़ 50 फीसद से ज़्यादा मत हासिल करने वाले प्रत्याशी को विजेयता घोषित कर दिया जाता है लेकिन अगर किसी भी प्रत्याशी को 50 फीसद मत नहीं मिलते तो दो सबसे ज़्यादा मत हासिल करने वाले प्रत्याशियों के बीच दूसरे दौर का चुनाव होता है। जिसे ''रन आफॅ इलेक्शन'' कहा जाता है, सेकुलर तुर्किये की 100 साला तारीख़ में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव, अर्दोगान और क्लिक डरोग्लू के बीच दूसरे दौर में पहुँचा है यह चुनाव 28 मई को होगा।

तोक्यो कॉलेज में प्रोफेसर बने जैक माः–

चीन की दिग्गज ई–कॉमर्स कम्पनी अलीबाबा समूह के को–फाउंडर जैक मा तोक्यो यूनिवर्सिटी के नामी रिसर्च इंस्टिट्यूट तोक्यो कॉलेज में विजिटिंग प्रोफेसर बने हैं। यूनिवर्सिटी ने सोमवार को बताया कि 58 वर्षीय जैक मा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फूड प्रॉडक्शन जैसे टॉपिक पर रिसर्च भी करेंगे। वह आंत्रप्रन्योरशिप, इनोवेशन पर अनुभव साझा करेंगे।

70 साल बाद ताजपोशी, किंग बने चार्ल्सः–

ब्रिटेन के नये राजा किंग चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिला की ताजपोशी हो गई है। लंदन के वेस्टमिंस्टर ऐबे चर्च में 80 मिनट तक राजा–रानी की ताजपोशी से जुड़ी रस्में चलीं।

चार्ल्स ने 1661 में बना ताज पहना। शाही परिवार में 70 साल बाद ताजपोशी हुई है। 1953 में महारानी एलिजाबेथ की ताजपोशी हुई थी।

इस कार्यक्रम का खुफिया नाम ऑप्रेशन गोल्डेन आर्ब रखा गया था। समारोह में शामिल होने कई देशों के प्रमुखों समेत 2200 मेहमान पहुँचे।

कर्नाटक में प्रचण्ड जीत से कांग्रेस गदगदः–

कॉंग्रेस ने शनिवार 13 मई, 2023 को 224 सदस्सीय कर्नाटक विधानसभा में 136 सीटें जीत कर सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया 1989 के विधान सभा चुनाव के बाद यह कॉंग्रेस की सबसे बड़ी जीत है। बी0जे0पी0 65 सीटों पर ही सिमट गई। जब कि जे0डी0एस0 को 19 सीटें मिलीं।

❖❖❖

नदवतुल उलमा
पोस्ट बाक्स न0 93, टैगोर मार्ग,
लखनऊ -226007 (भारत)

ندوۃ العلماء
پوسٹ بکس ۹۳ - ٹیگور مارگ
لکھنؤ - ۲۲۶۰۰۷ (الہند)

दिनांक 01/06/2023 तारीख

स्टॉफ़ क्वाटर्स की तामीर के लिए अपील

अल्लाह तआला का शुक्र व एहसान है कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा हज़रत मौलाना सैय्यद मो0 राबे हसनी नदवी दामत बरकातुहुम, नाज़िम नदवतुल उलमा की सरपरस्ती में अपनी इल्मी व दीनी, तालीमी व तरबियती ख़िदमत अंज़ाम दे रहा है, दारुल उलूम और उसकी ब्रांचों में इल्मी तालीमी सिलसिला बराबर जारी है, टीचर्स व स्टॉफ अपनी ज़िम्मेदारियों को अंजाम दे रहे हैं, टीचर्स व स्टॉफ की अधिकता की वजह से दारुलउलूम में उनके रहने की गुंजाइश नहीं रही तो दारुलउलूम के मेन कैम्पस के अलावा माहद सिकरौरी में स्टॉफ क्वाटर्स और माहद के करीब नदवा कालोनी की तीन मंज़िला बिल्डिंग तामीर हुई, मगर अब भी स्टॉफ के लिए क्वाटर्स की कमी बहुत ज़ियादा महसूस की जा रही है, इस सूरते हाल की वजह से नदवा मेन कैम्पस से करीब मुहल्ला मकारिम नगर में कुछ और स्टॉफ क्वाटर्स बनाने का फैसला किया गया है, और अल्लाह तआ़ला की मदद के भरोसे पर यह तामीर शुरु कर दी गयी है।
नये स्टॉफ क्वाटर्स की यह बिल्डिंग तीन मंजिला होगी, जिसमें 9 फेमली क्वाटर्स होंगे, इसकी तामीर पर 1,15,00000/– (एक करोड़ पंद्रह लाख) रूपये के खर्च का अंदाज़ा है, जो इंशाअल्लाह अहले खैर हज़रात के सहयोग से पूरा होगा।

हम उम्मीद करते हैं कि आप इस अहम ज़रूरत की ओर फौरन तवज्जोह फरमायेंगे और नदवतुल उलमा के कारकुनों का हाथ बटायेंगे।

हमें अल्लाह तआला की ज़ात पर पूरा भरोसा है कि उसकी मदद से यह काम मुकम्मल होगा।

मौलाना जाफर मसऊद हसनी नदवी
नाजिरे आ़म नदवतुल उलमा

(मौलाना डॉ0) तक़ीउद्दीन नदवी
मोतमद तालीम नदवतुल उलमा

डॉ0 मुहम्मद असलम सिद्दीक़ी
मोतमद माल नदवतुल उलमा

(मौलाना डॉ0) सईदुर्रहमान आज़मी नदवी
मोहतमिम नदवतुल उलमा

नोटः चेक/ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें:
NADWATUL ULAMA
और इस पते पर भेजें:
NAZIM NADWATUL ULAMA
Nizamat Office, Nadwatul Ulama.
Tagore Marg, Lucknow-226007 (UP)

बरा–ए–करम अतियात भेजने के बाद रसीद हासिल करने के लिए न0 **8736833376** पर इत्तिला ज़रूर करें।

नदवतुल उलमा
STATE BANK OF INDIA MAIN BRANCH, LUCKNOW
(IFSC: SBIN0000125)
–:तअ़मीरः–
A/C No. 10863759733

नोटः नदवतुल उलमा, लखनऊ को दिये गये चन्दे को **Section 80G income Tax act 1961**के तहत छूट प्राप्त होगी।
Online Donation Link: https://www.nadwa.in.donation/ Website: www.madwa.in, Email: nizamat@nadwa.in